

माननीय अध्यक्ष महोदया,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2007—08 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2008—09 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. आज मुझे 12 जुलाई 2004 का वह दिन याद आ रहा है जब मैंने हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया था। शासन की बागडोर संभालते ही, गंभीर चिंतन, विश्लेषण एवं सभी वर्गों से गहन विचार—विमर्श के पश्चात्, दूरगामी दृष्टि से, हमने विकास की रूपरेखा तैयार की थी, एक सपना संजोया था, जो निम्न 6 प्राथमिकताओं में परिलक्षित हुआ :

- दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति;
- अशक्त और महिलाओं को संबल;
- मानव संसाधन विकास व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि;
- रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक संपदा संरक्षण;
- अच्छा शासन एवं राजकोषीय सुधार; तथा
- आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास।

3. लक्ष्य निर्धारण कर, ठोस कार्य योजनायें बनाना और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर, उन्हें क्रियान्वित करना, इस सरकार की कार्यशैली रही है। निःसंदेह, राज्य की जनता ने हमारी सरकार को जनादेश देते समय जो अपेक्षाएं की थीं, उन पर हम खरे

उतरे हैं। मेरा विश्वास है कि हमने राज्य को विकास एवं समृद्धि की एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। हम राज्य को बीमारु राज्यों की श्रेणी से बाहर ले आये हैं।

4. हमारी सरकार ने बिजली, पानी और सड़क की सुविधायें अभूतपूर्व स्तर पर नागरिकों को उपलब्ध करा कर राज्य का physical infrastructure मजबूत किया है। हमने स्कूलों, अस्पतालों, छात्रवासों और आँगनबाड़ियों जैसी सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार कर, राज्य का social infrastructure मजबूत किया है और गरीब और पिछड़े तबकों के परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने और उनकी उन्नति का रास्ता प्रशस्त किया है।

5. राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में किये गए कार्य से पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि पूरे देश में राजस्थान के पक्ष में एक माहौल बना है। राज्य के विकास की गूँज राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँची है। राजस्थान का यह बदला हुआ परिवेश और परिदृश्य अभी हाल ही में सम्पन्न हुए Resurgent Rajasthan में भी सबके सामने आया। हम अब और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हैं।

6. राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। सम्पूर्ण civil society को राज्य सरकार के साथ जुड़ना होगा। सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के उद्यमियों को राज्य सरकार के साथ इस यज्ञ में भाग लेना होगा। राज्य में बनी सहभागिता को भी ओर सुदृढ़ करना होगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि हम राज्य के विकास और राज्य के प्रत्येक नागरिक की उन्नति के लिए ऐसा कर सकेंगे। हमारी अगली सरकार, अगले 5 वर्षों में, राजस्थान को देश के विकसित राज्यों की अग्रिम श्रेणी में जरूर ला खड़ा करेगी। मैं आज अपने बजट प्रस्ताव भी इसी भावना और लक्ष्य को सामने रखकर प्रस्तुत कर रही हूँ।

7. राज्य के विकास का मुख्य आधार योजना व्यय है। मेरी सरकार के शासन संभालने के समय योजना व्यय और पूँजीगत निवेश की स्थिति चिंताजनक थी। इस स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में, हम किस हद तक सफल हुए हैं, यह निम्न आकड़ों से स्पष्ट है:

- वर्ष 2003—04 में स्वीकृत वार्षिक योजना 4 हजार 258 करोड़ रुपये
- इसे बढ़ाकर हमने 6 हजार 44 करोड़ रुपयों का व्यय किया
- वर्ष 2004—05 में वार्षिक योजना का व्यय 6 हजार 590 करोड़ रुपये
- वर्ष 2005—06 में 7 हजार 700 करोड़ रुपये
- वर्ष 2006—07 में 8 हजार 969 करोड़ रुपये
- वर्ष 2007—08 में, RE के अनुसार, 13 हजार 684 करोड़ रुपये, और
- वर्ष 2008—09 में, BE के अनुसार, 15 हजार 248 करोड़ रुपये।

8. अतः वर्ष 2002—03 के मुकाबले वर्ष 2008—09 में राज्य का वार्षिक योजना व्यय लगभग चार गुना हो जायेगा। पाँच वर्ष की अवधि

देखें तो मुख्यतः गत् सरकार की 1999 से 2004 की अवधि में योजनागत व्यय, 22 हजार 78 करोड़ रुपये के मुकाबले, हमारी सरकार के पाँच वर्षों में 52 हजार 192 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय, यानी यह लगभग ढाई गुना होगा।

9. इस पैमाने का व्यय राज्य के विकास में दिखना चाहिये, और चूँकि अधिकतर घोषणाओं पर अमल किया जा चुका है, ऐसा हुआ भी है। राज्य में सड़कों का विस्तार, सिंचाई क्षमता का सृजन, बिजली की अधिक उपलब्धता, गरीबों को अधिक रोजगार, अशक्त वर्गों को अधिक सहायता, आदि में राज्य सरकार द्वारा किया गया काम सबके सामने है। फिर भी, मैं इन पर माननीय सदन का ध्यान संक्षेप में आकर्षित करना चाहूँगी।

सड़कें :

10. सड़कें विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। राज्य में सड़कों के विकास की तुलनात्मक स्थिति एवं प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

- इन पाँच वर्षों में सड़क तंत्र पर कुल 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित व्यय, जो पूर्व पाँच वर्ष के 1 हजार 905 करोड़ रुपये से पाँच गुना है।
- कुल 1 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 53 किलोमीटर की mega-highways का निर्माण। इनमें से चार पर कार्य लगभग पूरा हो चुका है और लालसोट से कोटा परियोजना का कार्य भी मई 2008 तक पूर्ण हो जायेगा।

इनमें से दो stretches पर मैं स्वयं चल चुकी हूँ , और मुझे यह कहने में गर्व है कि ये सड़कें दुनिया की किसी भी सड़क से उन्नीस नहीं हैं ।

- Rural connectivity, जो वर्ष 2000–2001 में राष्ट्रीय औसत, 60 प्रतिशत की तुलना में मात्र 50 प्रतिशत थी, अब बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी केवल 65 प्रतिशत तक ही हुई है ।
- भारत निर्माण योजना के rural connectivity के लक्ष्य समय से एक वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर, राजस्थान यह उपलब्धि अर्जित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है ।
- 9 हजार 188 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 9 हजार 96 को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है, और शेष 92 मुख्यालयों को भी अक्टूबर, 2008 तक डामर सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ।
- गत् बजट भाषण में नवीन missing link योजना की घोषणा की गई थी । 300 करोड़ रुपये ओर 2 हजार किलोमीटर की इस योजना को वित्त पोषित कर दिया गया है, और अक्टूबर 2008 तक इसे पूर्ण कर लिया जायेगा ।

11. पूर्व के 5 दशकों में, पूरे राज्य में केवल 35 ROBs बनाये गये थे । इसके विपरीत, पिछले चार वर्षों में ही, 11 ROBs पूर्ण कर दिये गये हैं, 23 ROBs पर कार्य चल रहा है और अन्य स्वीकृत 11 ROBs केवल रेल्वे की मंजूरी नहीं मिलने के कारण से रुके हुए हैं । ये स्वीकृति मिल जाती है, तो हमारी सरकार के काल में 45 ROBs पूर्ण कर लिये

जायेंगे अथवा उनका कार्य प्रगति पर होगा। बीसलपुर बांध के भराव से तहसील देवली में खारी नदी पर पुलिया का निर्माण आवश्यक हो गया है। इस पुलिया के निर्माण का कार्य, वर्ष 2008—09 में हाथ में लिया जायेगा।

12. प्रदेश के 500 तक की आबादी के समस्त गाँवों को सड़कों से जोड़ने का काम मार्च 2008 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जनजाति एवं रेगिस्तानी इलाके में 250 तक की आबादी के सभी गाँवों को दिसंबर 2008 तक पूर्ण किया जायेगा। इससे कम आबादी के गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए केन्द्र की कोई योजना नहीं है। परंतु राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के, एवं रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्रों के समस्त गाँवों को, सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। DDP जिलों में sealant वाली gravel सड़कें, व शेष क्षेत्रों में डामर की सड़कें बनाई जायेंगी। इस हेतु sealant और डामरीकरण के लिए आवश्यक 3 हजार 276 करोड़ रुपये की व्यवस्था बाहरी ऋण के माध्यम से की जायेगी।

विद्युत :

13. विद्युत क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हुआ है जैसाकि निम्न तथ्यों से स्पष्ट है:

- दिसम्बर 2003 की 4 हजार 984 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर 6 हजार 395 मेगावाट किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2008—09 के अंत तक 2 हजार 19 मेगावाट क्षमता की और वृद्धि होगी।

- 125 मेगावाट क्षमता की गिराल लिग्नाइट योजना एवं 26 साल से अटकी हुई 330 मेगावाट क्षमता की धोलपुर गैस परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ।
- 125 मेगावाट गिराल लिग्नाइट योजना की दूसरी इकाई, 500 मेगावाट की छबड़ा, 250 मेगावाट की सूरतगढ़ में छठी इकाई तथा 195 मेगावाट की कोटा में सातवीं इकाई, यानी कुल 1 हजार 70 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं, वर्ष 2008—09 में पूर्ण हो जायेंगी।
- केन्द्रीय क्षेत्र की दशकों से अटकी बरसिंगसर परियोजना को चालू कराया गया।
- ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से प्रथम परियोजना पर बाड़मेर में कार्य तेजी से चल रहा है।
- इसके अतिरिक्त 1 हजार 200 मेगावाट की कालीसिंध और 500 मेगावाट क्षमता की छबड़ा द्वितीय विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन पर वर्ष 2008—09 में कार्य प्रारंभ कर, 2011—12 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- श्यामाप्रसाद मुखर्जी विजय ज्योति फीडर सुधार अभियान के तहत 4 हजार 916 फीडर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे 9.37 प्रतिशत छीजत की कमी आई है, और 19 हजार से अधिक गाँवों को निकटतम शहर के समान बिजली आपूर्ति की जा

रही है। मैं सदन को यह आश्वासन करती हूँ कि राज्य के सभी 34 हजार गाँवों को जुलाई 2008 से निरन्तर शहरों के समान बिजली की सप्लाई मिला करेगी।

- ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अब तक 4 हजार 718 गाँवों का गहन विद्युतीकरण और 1 हजार 544 un-electrified गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
- कुटीर ज्योति योजना में जहाँ पिछली सरकार ने 65 हजार 137 कनेक्शन दिए थे, मेरी सरकार द्वारा मार्च 2008 में समाप्त हो रहे चार वर्षों में ही, 3 लाख 50 हजार कनेक्शन दे दिये जायेंगे।
- गत चार वर्षों में 400 KV के 2, 220 KV के 11, 132 KV के 47 तथा 33 KV के 736 नये सब-स्टेशन चालू किये गये हैं।
- वार्षिक योजना 2008-09 में विद्युत क्षेत्र के लिए 6 हजार 212 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है, जो कि कुल योजना का 40.74 प्रतिशत है।

14. ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं की 33 परियोजनाएं वर्ष 2005 में ही राज्य सरकार ने भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी थीं। 15 योजनाएं अब भी भारत सरकार के स्तर पर लंबित हैं। विपक्ष में बैठे मेरे साथी बार-बार केन्द्रीय योजनाओं से अपार राशि मिलने की दुहाई देते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे कृपया शेष रही स्वीकृतियां निकलवाने में राज्य की मदद करें। मेरा यह मानना है कि विकास के मामलों में, विशेषकर गरीब किसान के कार्यों में, केन्द्रीय सरकार या हमको राजनीति नहीं करनी चाहिये।

15. नये कनेक्शन लेने से बिलों के भुगतान करने में किसान और घरेलू उपभोक्ताओं का विद्युत कंपनियों से बार-बार नाता पड़ता है। विद्युत कंपनियों के forms व bill अभी काफी जटिल हैं जिन्हें समझने में किसानों और उपभोक्ताओं को काफी परेशानी आती है। जून 2008 से पूर्व विद्युत कंपनियां इन्हें customer friendly बनाते हुए नये और आसान रूप में प्रस्तुत करेंगी।

16. वर्ष 2008-09 में 400 KV के 2, 220 KV के 4, 132 KV के 12 और 33 KV के 180 नये ग्रिड सब-स्टेशनों पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसके साथ ही, extra high voltage के ग्रिड सब-स्टेशनों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा।

17. केन्द्रीय सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मापदण्डों के अनुसार गैर-आबादी क्षेत्र में रहने वालों को बिजली दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन मैं, और मेरी सरकार, इससे रुकने वाले नहीं हैं। मैं तो हर घर में, चाहे वह दूर-दराज गाँव में ही हो, बिजली की रोशनी देखकर ही साँस लूंगी। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि वर्ष 2008-09 से 'मुख्यमंत्री-सबके-लिए-विद्युत-योजना', बिजली कंपनियां अपने संसाधनों से लागू करेंगी। इसके तहत 11 KV फीडर से एक किलोमीटर दूरी के अंदर 10 या उससे अधिक घरों द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन करने पर, मात्र 3 हजार 500 रुपये में घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

जल संसाधन :

18. जल—संसाधन के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है:

- शासन की बागडोर संभालते वक्त हमने सभी 163 लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया था।
- इनमें से, सभी 149 minor परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
- सात में से 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
- सात में से तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, यथा माही, बीसलपुर और रतनपुरा को भी पूर्ण कर लिया गया है।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर 300 करोड़ रुपये की कार्य योजना निष्पादित की जा रही है, जो कि 2009—10 तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसमें कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से रख—रखाव और पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी शामिल है।
- मेरी सरकार ने गत चार वर्षों में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया।
- 125 किलोमीटर लंबी भीखाभाई सागवाड़ा केनाल का निर्माण कार्य, पूर्व घोषणानुसार तेजी से किया जा रहा है, जिससे 50 हजार से अधिक आदिवासी व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे।

19. अब वर्ष 2003—04 के पहले की बाकी रही एक मध्यम सिंचाई परियोजना, गरड़दा (बून्दी) और गंगनहर के आधुनिकीकरण की बड़ी योजना को वर्ष 2008—09 में पूरा किया जायेगा। साथ ही दस नई लघु सिंचाई परियोजनाएँ भी पूर्ण हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त

कालीसिन्ध पर 400 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी सिंचाई परियोजना तथा खोह (करौली), सिंहपुर (चित्तौड़गढ़) बागदरी (प्रतापगढ़), पिण्ड (चित्तौड़गढ़) और न्यू फतेहपुर minor (हनुमानगढ़) की नई पाँच योजनाओं को लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जायेगा।

20. चंबल से पांचना—जग्घर तक पानी ले जाने के लिए lift सिंचाई योजना और माही से दानपुरा—आभापुरा क्षेत्र को पानी देने के लिए योजना, दोनों ही परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाकर आवश्यक स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जायेगा। बून्दी के बरधा बांध को 5 करोड़ रुपये की लागत से, डूंगरपुर की भासौर सिंचाई परियोजना को एक करोड़ रुपये की लागत से, जोधपुर के जसवन्त सागर बाँध को 9 करोड़ रुपये की लागत से और बाँसवाड़ा की बारीगामा सिंचाई परियोजना को 71 लाख रुपये की लागत से restore and rehabilitate किया जायेगा।

21. आगामी वर्ष में किशनगंज के सहरिया क्षेत्र में स्थित सेमलीफाटक बाँध की क्षमता का 5 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जायेगा और भीलवाड़ा में कौकरिया तालाब से भोजपुरा तालाब को जोड़ने वाले 12 किलोमीटर लंबे भोजपुरा फीडर को 45 लाख रुपये की लागत से पूर्ण किया जायेगा।

22. माही बेसिन में 147 TMC पानी है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई माही, कडाना और अन्य परियोजनाओं से 123 TMC के पानी

का उपयोग सुनिश्चित हुआ है। हमारी मंशा है कि माही नदी के बूँद-बूँद पानी का उपयोग हो। बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में Saddle Dam से upper high level canal तथा माही बाँध की दाईं छोर से high level canal की फीजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इसके पश्चात् एक मास्टर प्लान बनाकर, इसको प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा जिससे 1 लाख से भी अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

23. नई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ पुरानी सिंचाई परियोजनाओं से उपलब्ध पानी के पूरे उपयोग के लिए उनका रख-रखाव आवश्यक है। लेकिन दशकों से इस हेतु वित्तीय प्रावधान नगण्य के बराबर हुए। इस वित्तीय वर्ष में पहली बार रख-रखाव हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान इंदिरागांधी नहर और चंबल सिस्टम के लिए किया गया। इसी भांति, वर्ष 2008-09 में भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें पार्वती नहर परियोजना की revamping भी सम्मिलित होगी।

पेयजल :

24. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पेयजल की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती को स्वीकारते हुए :-

- दिसम्बर 2003 से आज तक एक लाख से ज्यादा नये hand-pump लगाये गये हैं।
- सात हजार से अधिक ट्यूबवैल्स का निर्माण किया गया है।

- सतही जल आधारित 11 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की 64 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- राज्य में पेयजल परियोजनाओं पर 400 से 500 करोड़ रुपये वार्षिक रूप से व्यय हुआ करता था। इसको step-up करते हुए:
 - वर्ष 2004–05 में 619 करोड़ रुपये
 - वर्ष 2005–06 में 790 करोड़ रुपये
 - वर्ष 2006–07 में 1 हजार 242 करोड़ रुपये व्यय हुए, और
 - वर्ष 2007–08 में 2 हजार 238 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है।

25. राज्य में जल की कमी को देखते हुए, यह आवश्यक है कि उद्योगों एवं बगीचों आदि के लिए पीने योग्य शुद्ध पानी का कम से कम इस्तेमाल हो। Recycled पानी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार BOT आधार पर परियोजनाएं स्थापित करने को प्रोत्साहन देगी। इन परियोजनाओं के जरिये recycled water की कीमत सामान्य पानी आपूर्ति की दर से 25 प्रतिशत कम रखते हुए viability gap की गणना की जाएगी। इसी प्रकार, PHED द्वारा recycled पानी की आपूर्ति करने पर सामान्य दरों से 25 प्रतिशत कम शुल्क लिया जायेगा।

मानव संसाधन विकास :

26. सड़क, बिजली, पानी — ये तो अति महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन सीमित सोच नहीं हो, तो समाज के विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है मानव संसाधन विकास। राज्य में अब भी 60 प्रतिशत से अधिक

जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन इस क्षेत्र में अब राष्ट्रीय स्तर पर औसत वृद्धि दर 3 प्रतिशत से भी कम है। ऊपर से बढ़ती हुई जनसंख्या से कृषि जोत भी un-economic हो रही हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि युवक रोजगार के अन्य साधन चाहेंगे। हालांकि, इस सरकार के कार्यकाल में राजकीय कार्यों से लगभग 2 लाख 50 हजार व्यक्तियों को जुड़ने का मौका दिया गया है, फिर भी यह बहुत जरूरी है कि हम अपने युवाओं को ऐसी skills प्राप्त करने का मौका दें जिससे कि वे उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में भी रोजगार पा सकें।

27. इसी सोच से प्रेरित होकर, मेरी सरकार ने शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं के विस्तार, एवं quality में सुधार पर ध्यान केन्द्रित रखा है, जो निम्न से स्पष्ट है:

- वर्ष 2000–2001 में 33 लाख 55 हजार बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित थीं। वर्ष 2006–07 में यह संख्या बढ़कर 56 लाख 14 हजार हो गई है।
- वर्ष 2001–02 में gender gap 17 प्रतिशत था। वर्ष 2006–07 में यह घट कर 10 प्रतिशत रह गया है।
- वर्ष 2001–02 की 70.52 प्रतिशत drop out rate घट कर वर्ष 2006–07 में 35 प्रतिशत से कम रह गयी है।
- वर्ष 2005 में जहाँ 8 लाख 44 हजार बच्चे आठवीं कक्षा और 6 लाख 90 हजार बच्चे दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठे थे,

अब बढ़ कर यह संख्या क्रमशः 11 लाख 26 हजार और 8 लाख 95 हजार हो गई है।

- वर्ष 2002–03 के अंत में जहां राज्य में 205 कॉलेज थे, अब यह संख्या बढ़ कर 996 हो गई है।
- वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2002–03 की अवधि में राज्य में मात्र 91 कॉलेज खुले, जबकि उसके बाद के पाँच वर्षों में 791 नये कॉलेज खोले गये हैं।
- अब राज्य में 57 हजार की जनसंख्या पर एक कॉलेज है, जो कि 77 हजार की आबादी पर एक कॉलेज के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- वर्ष 2002–03 में राज्य में तकनीकी शिक्षा के 254 संस्थान थे, जिनमें कुल प्रवेश क्षमता 26 हजार थी। अब ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 729 और प्रवेश क्षमता तीन गुना से अधिक हो कर 82 हजार हो गई है।
- साथ ही यह प्रयास किया गया है कि राज्य में कॉलेजों का स्तर देश की सर्वोच्च संस्थाओं के बराबर आ सके। इस दृष्टि से, 22 राजकीय और 12 निजी महाविद्यालयों का चयन कर उन्हें Centres of Excellence के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान रोजगार संबंधी कौशल प्राप्त हो सके, इस हेतु महारानी कॉलेज, जयपुर, राजकीय महाविद्यालय और सोफिया कॉलेज अजमेर में तीन Knowledge Centres स्थापित किये गये हैं। इनमें नियोक्ता अथवा

placement agency की आवश्यकतानुसार उसी के प्रशिक्षकों द्वारा कॉलेज परिसर में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तर्ज पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा, सुबोध महाविद्यालय, जयपुर तथा लाचू मेमोरियल महाविद्यालय, जोधपुर में भी ये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, ICICI बैंक की सहायता से 20 महाविद्यालयों में Banking and Insurance के विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में केयर्न एनर्जी द्वारा Enterprise Centre की स्थापना की गई है जिस पर 12 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

28. इस कड़ी को अब आगे बढ़ाना है।

29. भाषणों की बात मानें, और विपक्ष के माननीय सदस्यों की सुनें, तो ऐसा लगेगा कि मानो केन्द्र ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इससे भी आपको अवगत तो करवा दूं। सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 2007-08 से सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार सैकण्डरी विद्यालयों तक होना था। इस आश्वासन पर आधारित मैंने अपने बजट भाषण में न केवल यह घोषणा की थी कि हम इस कार्यक्रम के तहत 1 हजार 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करेंगे, बल्कि 150 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इस हेतु कर दिया था। लेकिन साल भर हमको आश्वासन मिलते रहे और बड़ी सरकार की बड़ी-बड़ी समितियों की बैठकें होती रहीं। यानी आश्वासन और घोषणाएं ही बजती रहीं, और घणी बजी। परंतु, केन्द्र द्वारा यह योजना लागू नहीं की गई।

30. मेरी मान्यता है कि राज्य में जितनी पंचायतें हैं, उतने ही माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय होने चाहिये। इस वक्त राज्य में 9 हजार 343 पंचायतों के विरुद्ध 6 हजार 235 माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। यानी, पंचायतों की संख्या के विरुद्ध इन विद्यालयों की संख्या 3 हजार 108 कम है। मैं घोषणा करती हूँ कि केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में ले या नहीं, वर्ष 2008—09 में 3 हजार 108 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा या निजी सहभागिता की योजना के अंतर्गत ऐसी पंचायतों में नये सैकण्डरी विद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 400 करोड़ रुपये का कार्यक्रम हाथ में लेना आवश्यक होगा।

31. मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए कंप्यूटर शिक्षा बिल्कुल आवश्यक है। वर्तमान में 3 हजार 500 माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि इन सभी 3 हजार 500 माध्यमिक और नये खुल रहे 3 हजार 108, यानी कुल 6 हजार 608 माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु कुल 33 करोड़ रुपये का कार्यक्रम हाथ में लेना आवश्यक होगा।

32. प्रदेश के 14 शहरों में अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है तथा महिला साक्षरता दर कम है। इसी प्रकार, रेगिस्तानी इलाके में तीन पंचायत समितियां ऐसी हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग

किलोमीटर से कम है। इन इलाकों की विशिष्ट समस्या को देखते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि राजगढ़, सरदारशहर, चूरू, रतनगढ़, सूरजगढ़, झुंझुनू, नवलगढ़, गंगापुरसिटी, फतेहपुर, सीकर, लाडनू, नागौर, मकराना एवं टोंक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जायेंगे, तथा कोलायत, जैसलमेर और सम पंचायत समितियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एक-एक छात्रावास खोला जायेगा।

33. प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाता है। उपलब्ध कराई जा रही पुस्तकों की पर्याप्त साज-संभाल हो सके और बच्चे उन्हें सुविधाजनक रूप से स्कूल ले जा सकें इस हेतु वर्ष 2008-09 में पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण school bag सहित करने हेतु एक नई 'वीणा-पाणि योजना' प्रारंभ की जायेगी। अगले वर्षों में निःशुल्क स्कूल बैग प्रथम एवं छठी कक्षा में प्रवेश करने वालों को ही दिया जाना आवश्यक होगा।

34. अपनी धरोहर की रक्षा नहीं करना, मैं अपने माता-पिता, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करने के समान मानती हूँ। स्वतंत्रता के पहले से राज्य में संचालित 11 पुस्तकालयों को हमने heritage libraries घोषित कर, उनके पुनरुद्धार के लिए दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। राज्य की इन libraries में दशकों, even शताब्दियों पुरानी अनमोल पुस्तकें हैं, जिनके digitisation हेतु मैं 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराऊँगी।

35. भारत के प्राचीनतम समय से लेकर आज तक, ज्ञान—विज्ञान की परिधि में, मंत्रों का महत्त्व प्रतिपादित है। वेद मंत्रों की विश्व जननी होने के बावजूद, कदाचित् यहां से अधिक अध्ययन एवं अन्वेषण पाश्चात्य देशों में मंत्र विज्ञान पर किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से इस प्राचीन विद्या व ज्ञान का लोकहित में संरक्षण कर नई पीढ़ी को परिचित कराना आवश्यक है। अतः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के संरक्षण में राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान की स्थापना की जायेगी।

36. सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्रों को राज्य द्वारा सहारा दिया जाना आवश्यक है। सरकार, Infosys तथा MNIT के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौतों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, ताकि उन्हें IT क्षेत्र में नियोजन मिल सके। इस प्रशिक्षण के दौरान, प्रत्येक छात्र को 1 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता 6 माह तक मिलेगी तथा प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होगा।

37. जोधपुर और उनियारा की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां पर चल रहे राजकीय महाविद्यालयों में कृषि संकाय खोले जायेंगे। इन स्थानों पर निजी सहभागिता से कृषि महाविद्यालय भी खोले जा सकेंगे। इसी प्रकार आसींद में सवाई भोज द्वारा उपलब्ध कराई जा रही भूमि पर निजी सहभागिता से एक महाविद्यालय खोला जायेगा।

38. Lagging areas में निजी सहभागिता से ITIs, Polytechnic Colleges और अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की योजना के उत्साहजनक परिणाम आये हैं। अब तक 87 ITIs, 32 Polytechnic Colleges और 18 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को स्वीकृति पत्र जारी किये जा चुके हैं। अब इस योजना का विस्तार किया जायेगा। किसी भी इलाके में अपनी स्वयं की भूमि पर केवल महिलाओं के लिए polytechnic colleges अथवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित करने पर, भवन हेतु उतना ही अनुदान दिया जायेगा, जितना कि अभी lagging areas में दिया जाता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

39. डीडवाना में निजी सहभागिता से महिला महाविद्यालय चलाये जाने हेतु 6 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की जा चुकी है। डीडवाना की यह पहल, वह भी महिला शिक्षा के लिए, प्रशंसनीय है। जिस भूमि पर यह महाविद्यालय अस्थाई रूप से चल रहा है, वहां उसे भवन निर्माण की अनुमति दी जायेगी। पंचायत समिति भोपालगढ़ द्वारा विवादरहित भूमि एवं भवन, विभाग को उपलब्ध करवाये जाने पर यहां राजकीय महाविद्यालय चलाया जायेगा। केलवाड़ा (शाहबाद) और प्रतापगढ़ में भी राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे। इसके अलावा रायसिंह नगर, निवाई, सिकराय और हिन्दुमलकोट में निजी सहभागिता से ITI खोले जायेंगे।

40. राजस्थान विश्वविद्यालय में Centre for Converging Technologies की स्थापना की गई है, जिसमें आधुनिक युग के विषयों

पर पाठ्यक्रम प्रारंभ कर विश्वविद्यालय ने एक उल्लेखनीय पहल की है। इस केन्द्र को विभिन्न संस्थाओं से सहायता प्राप्त हो रही है। अतः भवन निर्माण और उपकरण क्रय करने हेतु मैं one to one matching grant के रूप में इस केन्द्र को 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा करती हूँ।

41. दसवीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सीनियर सैकण्डरी कक्षाओं में पढ़ने के दौरान 1 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में ऐसी 13 हजार छात्राएं हैं। मैं अब इस राशि को बढ़ाकर 1 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष कर रही हूँ।

42. बारहवीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास होने वाली बालिकाओं को वर्तमान में कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं है। वर्ष 2008—09 से बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को एकमुश्त 3 हजार रुपये का पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जायेगा।

43. विद्यालय केवल शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहें, बल्कि विद्यार्थियों के all-round development में जुटें, इस हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु एक नई पुरस्कार योजना वर्ष 2008—09 से प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर के विद्यालय को 25 हजार रुपये,

मंडल स्तर के विद्यालय को 40 हजार रुपये तथा राज्य स्तर के विद्यालय को 50 हजार रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों हेतु दी जायेगी।

44. राजकीय विद्यालयों को अपना स्तर सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं यह घोषणा करती हूँ कि प्रत्येक राजकीय विद्यालय को, जिसका विद्यार्थी National Talent Scholarship Scheme हेतु चुना जाता है, 50 हजार रुपये प्रति चयनित विद्यार्थी की दर से पुरस्कृत किया जायेगा। इस राशि में से 35 हजार रुपये विद्यालय के विकास पर खर्च किये जा सकेंगे। शेष 15 हजार रुपये उन दो अध्यापकों में समान रूप से वितरित किये जायेंगे जिनके संबंध में चयनित विद्यार्थी यह गोपनीय प्रतिवेदन देता है कि उसके चयन में उनका सबसे अधिक योगदान है।

45. इसी प्रकार प्रत्येक राजकीय विद्यालय को, जिसका कोई भी विद्यार्थी IITs, IIITs या राष्ट्रीय स्तर के AIIMS जैसे चिकित्सा महाविद्यालय में चयनित होता है, उसे 1 लाख रुपये प्रति चयनित विद्यार्थी की दर से पुरस्कृत किया जायेगा। इस राशि में से 70 हजार रुपये विद्यालय के विकास पर खर्च किये जा सकेंगे। शेष 30 हजार रुपये विद्यार्थी द्वारा चयनित दो अध्यापकों में समान रूप से वितरित किये जायेंगे।

46. इसी प्रकार, आर्थिक रूप से पिछड़े और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के लिए merit-cum-means

छात्रवृत्ति की 'विद्या-वारिधि योजना' स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा की merit के अनुसार 1 हजार छात्रों को 7 हजार 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जायेगी। यदि पाठ्यक्रम National Board of Accreditation द्वारा मान्य है, तो छात्रवृत्ति दुगुनी, अर्थात् 15 हजार रुपये प्रति वर्ष होगी। चयनित छात्रों को यह छात्रवृत्ति Engineering Degree Courses की चार वर्ष की अवधि तक के लिए देय होगी। इस हेतु आवश्यक बजट प्रावधान किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब अन्य विषयों में अध्ययनरत् छात्रों के लिए भी ऐसी योजना लागू की जायेगी।

47. निजी क्षेत्र में शिक्षा में बढ़ती हुई संस्थाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को regulate किया जाए। इस हेतु, हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों से राय लेकर एक नया कानून बनाने पर विचार करेगी।

48. अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का सुचारु संचालन कई वर्षों से संस्था के संचालकों, अध्यापकों, और राज्य सरकार के लिए समस्या बना हुआ था। इनके संबंध में गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों को मोटे रूप से स्वीकार करते हुए, मैं 1 अप्रैल, 2008 से इन संस्थाओं के अनुदान वृद्धि पर लगी रोक को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। जिन स्कूलों ने SC एवं ST के सभी पदों को पूर्ण रूप से भरा है, उनकी grant 1 अप्रैल 2007 से defreeze की जायेगी। अनुदानित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से, उन पर लगे कई नियंत्रण जैसे फीस की आय को

grant-in-aid की गणना करते समय घटा देना, को समाप्त किया जायेगा। ऐसी संस्थाओं को, शिक्षकों के हितों को संरक्षित रखते हुए, दो exit option भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

49. Charitable एवं निजी संस्थानों को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर senior secondary और secondary school स्थापित करने के लिए मैं एक नई 'ज्ञानोदय योजना' शुरू करने की घोषणा करती हूँ। Polytechnic संस्थान स्थापित करने के लिए चल रही PPP योजना के पैटर्न पर चलाई जाने वाली यह योजना पूंजीगत सहायता, education vouchers के माध्यम से प्रतिमाह अनुदान और उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि पर आधारित होगी। इस PPP योजना हेतु मैं 15 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही इस पहल का भी अनुकरण करेगी।

50. राज्य में शिक्षा के विस्तार में बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस हेतु राजकीय विद्यालयों को adopt करने अथवा भूमि उपलब्ध करवाने और education vouchers पर आधारित 'शिक्षक का अपना विद्यालय योजना' वर्ष 2008-09 से लागू की जायेगी। मुझे विश्वास है, बेरोजगार शिक्षक अब नौकरी की तलाश छोड़कर अपने स्वयं के विद्यालय स्थापित कर सकेंगे। इस योजना हेतु मैं 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करती हूँ।

51. बच्चे स्वस्थ होंगे, तो ही पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश, राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे अधिकतर छात्रों के परिवार श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य हेतु नन्दी फाउंडेशन की सहायता से उदयपुर में चलाई जा रही स्वास्थ्य परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं भी माँ हूँ। बच्चा बीमार हो और उसे सही इलाज न मिले, तो माँ के लिए इससे बड़ी लाचारी क्या हो सकती है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि वर्ष 2008—09 से प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय विद्यालयों के 10 लाख छात्रों को इस पैटर्न पर **‘बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’** से cover किया जायेगा। इस हेतु, प्रारंभिक रूप से 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

52. युवा विकास में खेलों के महत्त्व को दोहराया जाना आवश्यक नहीं है। It is a healthy mind in a healthy body.

- इस वर्ष हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 338 ग्राम पंचायतों से प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम अब बढ़ कर 1 हजार 500 और पंचायतों को शामिल करेगा।
- इस हेतु 1 हजार 500 प्रशिक्षित PTIs को sports-coach के रूप में लगाया जायेगा, जो स्थानीय विद्यालयों में भी सेवाएँ देंगे।
- इसी प्रकार, इस वर्ष से प्रारंभ किये गये स्टेडियम विकास कार्यक्रम के तहत 2 संभाग, 4 जिलों और 1 तहसील में कार्य

प्रगति पर है। वर्ष 2008—09 के लिए मैं 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूँ।

- इस वर्ष खोली गई महिला बास्केटबाल अकादमी की सफलता से प्रेरित हो कर, मैं अगले वित्तीय वर्ष में महिला हॉकी अकादमी अजमेर में प्रारंभ किये जाने की घोषणा करती हूँ। अजमेर में केन्द्र सरकार की वादा खिलाफी के कारण, अधूरे रहे हॉकी स्टेडियम में Astro-turf को राज्य सरकार अपने खर्चे पर पूरा करवायेगी।
- खेल गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि Sports clubs या associations को पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

53. यह भी आवश्यक है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाये। इस हेतु, वर्तमान में चल रही योजना का विस्तार करते हुए मैं यह प्रस्तावित करती हूँ कि पदक जीतने वालों को निम्न पुरस्कार दिये जायें :

- स्वर्ण पदक जीतने पर 10 हजार रुपये
- रजत पदक जीतने पर 7 हजार 500 रुपये
- कांस्य पदक जीतने पर 5 हजार रुपये

आजीविका और उद्योग :

54. बच्चा पढ़ लिख जाये, तो युवक के रूप में उसे रोजगार मिलना चाहिये। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में अब unemployment से अधिक समस्या unemployability है। बाजार में जो कुशलताएं चाहियें,

वह हमारे युवक प्राप्त कर सकें, इस दूरगामी सोच से हमने वर्ष 2004 में Rajasthan Mission on Livelihood की स्थापना की थी। इस मिशन ने गत तीन वर्षों में 1 लाख 8 हजार युवकों को रोजगार लायक क्षमताओं से प्रशिक्षित कराया है।

55. अब इस मिशन के द्वितीय फेज में, प्रभावी एवं उपयोगी प्रशिक्षण, जिसमें soft-skills शामिल हों, के उद्देश्य से :

- Apprentice व्यवस्था को बढ़ावा दिया जायेगा
- State Council for Vocational Education and Training के पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण किया जायेगा
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य में आकर्षित किया जायेगा
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा
- रोजगार कार्यालयों का नवीनीकरण, कंप्यूटरीकरण और कार्यशैली एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जायेगा।

56. मैंने गत बजट में Animation Academy की स्थापना की घोषणा की थी। 2 हजार 800 आवेदकों में से वर्तमान में 200 का चयन कर, 100 युवकों के प्रथम batch को इस academy में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा शेष 100 आवेदकों का प्रशिक्षण जून माह में प्रारंभ किया जायेगा। प्रशिक्षण पूरा होते ही इन सभी को अच्छा रोजगार

मिलना सुनिश्चित है। इस सफलता को देखते हुए वर्ष 2008—09 में, मैं न केवल इस अकादमी को जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में भी खोलने की घोषणा करती हूँ, बल्कि automotive design, draftsmanship और graphic design की अकादमियां भी वर्ष 2008—09 में स्थापित करना प्रस्तावित कर रही हूँ।

57. रोजगार कार्यालयों में registered बेरोजगार युवकों के लिए नियोजन विभाग मुख्यतः सरकारी रोजगार तलाशता है। रोजगार कार्यालयों में लगभग 2 लाख 80 हजार स्नातक पंजीकृत हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए चलाई गई अक्षत योजना में केवल 23 हजार 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 16 हजार 700 को लाभान्वित किया जा रहा है। अब रोजगार विभाग के पुनर्नियोजन के साथ यह आवश्यक है कि इन्हें निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलाने के लिए सक्षम बनाया जाये। फलस्वरूप, इनकी skill training आवश्यक है। अतः अब रोजगार विभाग पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति को RMOL के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा।

58. राज्य से अन्य राज्यों में अनेक मजदूर रोजगार के लिए जाते हैं। इन मजदूरों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए पहचान-पत्र की आवश्यकता होती है। साथ ही, इन्हें अपने कार्य-स्थल से अपने घर पैसा transfer करने की भी आवश्यकता पड़ती है। मेरी सरकार migrant मजदूरों को पहचान पत्र जारी करने, एवं बैंकों के माध्यम से remittance facility उपलब्ध कराने का कार्यक्रम RMOL के माध्यम से शुरू करेगी।

59. उपरोक्त सभी कार्यक्रमों, एवं सरकार द्वारा की जा रही skill mapping के आधार पर बनाये जाने वाले रोजगार कार्यक्रम हेतु मैं आजीविका मिशन का बजट 20 करोड़ 85 लाख रुपये से बढ़ा कर, 60 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित करती हूँ।

60. राज्य में न्यूनतम मजदूरी का अन्तिम संशोधन वर्ष 2004 में हुआ था। मैं विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए 1 मार्च, 2008 से निम्न प्रकार न्यूनतम मजदूरी संशोधित करने की घोषणा करती हूँ:—

Unskilled	73 रुपये से	100 रुपये
Semi Skilled	77 रुपये से	107 रुपये
Skilled	81 रुपये से	115 रुपये

61. खनिज क्षेत्र में आधुनिकीकरण और नीतिगत सुधार की प्रक्रिया को जारी रखते हुए :

- राज्य में sandstone के उत्पादन, राजस्व और value addition की व्यापक संभावना को देखते हुए sandstone policy बनाई जायेगी।
- रियासतकाल से दिये गए अधिकार के तहत हो रहे खनन के नियमों में अमान्य होने के कारण हो रही समस्या के निराकरण हेतु बापी पट्टों की नियमन नीति बनाई जायेगी।

62. गत चार वर्षों में हमारा यह उद्देश्य रहा है कि राज्य में भौतिक एवं सामाजिक infrastructure को मजबूत किया जाये जिससे

राज्य में निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। राजस्थान देश में तेजी से preferred investment destination के रूप में उभर कर आया है। इस वर्ष अप्रैल से नवंबर माह की अवधि में industrial entrepreneur memoranda के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों में राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है।

63. राज्य सरकार द्वारा आयोजित Resurgent Rajasthan Partnership Summit को उद्योग एवं व्यापार जगत में भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर 300 MoUs एवं letters of intent संपादित किये गये, जिनके अंतर्गत राज्य में 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इन निवेश प्रस्तावों के द्वारा राज्य में रोजगार के 8 लाख से अधिक नये अवसर उपलब्ध होने का अनुमान है। हाल ही में 30 जनवरी 2008 को मैंने 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केवल इन 3 उद्योगों द्वारा ही राज्य में 60 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

64. अगर जीवन में निरोग रहना एक वरदान है, तो रोग होने पर उसका तुरंत एवं प्रभावी निदान एक आवश्यकता। आयुष पद्धतियों में आस्था घट नहीं रही है, बल्कि बढ़ रही है, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। हमने पिछले चार वर्षों में 95 आयुर्वेद, 65 होम्योपैथी और 24 यूनानी

अस्पताल खोले हैं। अब इन सुविधाओं के और विस्तार की आवश्यकता है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि :

- प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर क्षार-सूत्र हेतु operation theatres की स्थापना की जाएगी
- 40 नये आयुर्वेद औषधालय खोले जायेंगे
- कोटा और जोधपुर में आयुर्वेद अस्पतालों के साथ wellness और herbal centres स्थापित किये जायेंगे
- सभी संभागीय मुख्यालयों पर आरोग्य मेले आयोजित किये जायेंगे
- 7 आयुर्वेद अस्पतालों को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा
- 7 नई मोबाईल आयुर्वेद इकाइयां स्थापित की जायेंगी
- गौ-संवर्धन, पञ्चगव्य रसायन व गौ-उत्पादों की चिकित्सकीय उपादेयता के अध्ययन के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के तहत एक पीठ स्थापित की जायेगी।

65. Medical सेवाओं के सुदृढीकरण के उद्देश्य से निम्न प्रावधान किये जा रहे हैं:

- जयपुर सहित छहों मेडीकल कालेजों की जनाना विंग का विस्तार करने और महिलाओं के लिए wellness clinic की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये,
- अजमेर मेडीकल कालेज में Cardio Thoracic Centre की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये,

- जोधपुर सहित Medical Colleges में Super Specialities के सुदृढीकरण एवं DM Courses हेतु 4 करोड़ रुपये,

66. अब हमारे देश में भी अस्पताल प्रबंधन की अलग योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध होने लगे हैं। अतः अस्पताल के बेहतर प्रबन्धन के लिए प्रबन्धकीय कुशलता की योग्यता रखने वाले professionals को भी अस्पताल में नियुक्त किया जाना आवश्यक है। मैं सभी जिला अस्पतालों में एक-एक Health Manager के पद के सृजन की घोषणा करती हूँ।

67. बीकानेर मेडीकल कालेज में Diabetic Care Hospital एवं Geriatric Care Hospital का संचालन व जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर व कोटा के Medical Colleges में Linear Accelerators की स्थापना public private partnership योजना के अंतर्गत की जायेगी।

68. राज्य के नवगठित भरतपुर संभाग में medical college नहीं है। वर्ष 2008-09 में भरतपुर में public private partnership आधार पर medical college स्थापित करने का कार्य शुरू किया जायेगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा Geriatric Care, Nutrition Medicine तथा Sports Medicine के विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।

69. आपातकाल में रोगी को intensive care की आवश्यकता होती है। यह एक चिंता का विषय है कि अधिकतर जिलों में अभी भी

ICU स्थापित नहीं हैं। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि वर्ष 2008–09 में 9 जिलों में अच्छे निजी अस्पतालों के सहयोग से PPP मॉडल पर ICU स्थापित किये जायेंगे। Private Partner उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान करे इसके लिए उसको भुगतान admitted patients और treatment के आधार पर किया जायेगा। ये ICUs स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भी पात्र होंगे।

70. अपने घर, मौहल्ले और गाँव को साफ—सुथरा रखना और समय पर preventive दवाइयां लेना ही बीमारियों से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मैं एक ‘ग्राम स्वास्थ्य योजना’ प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायत टीकाकरण, ante-natal check-up, संस्थागत प्रसव, सही उम्र पर विवाह एवं जन्म—मृत्यु पंजीकरण के लक्ष्य पूरे करती है, उसे एक लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक जिले में प्रथम आने वाली पंचायत को 5 लाख रुपये एवं द्वितीय आने वाली पंचायत को 3 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी। इस योजना हेतु वर्ष 2008–09 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

71. जिला चिकित्सालयों में Doctors की बेहतर उपस्थिति और सुविधाओं से, अनेक चिकित्सालयों में अतिरिक्त Beds की मांग की जा रही है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि धौलपुर जिला चिकित्सालय को 200 से 300 Beds, चूरू जिला चिकित्सालय को 150 से 225 Beds, भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय को 325 से 400 Beds और बारां जिला

चिकित्सालय को 200 Beds से 300 Beds वाले चिकित्सालय में upgrade किया जायेगा। चित्तौड़गढ़ के जिला अस्पताल की क्षमता 200 Beds से बढ़ाकर 300 Beds की जायेगी, जिसमें जनाना विंग का विस्तार शामिल होगा।

72. इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर को 30 से 50 Beds, भवानीमंडी को 50 से 75 Beds, संलूबर को 50 से 100 Beds, व केकड़ी को 50 से 75 Beds में upgrade किया जायेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम की Bed क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 की जायेगी। करवाड़ और सुमेरगंज मंडी में भी निजी सहभागिता से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

73. डाक्टरों व नर्सों की वर्षों से रुकी नियुक्तियां न केवल इस सरकार ने पुनः प्रारंभ कीं, बल्कि वर्षों से अनुबंध पर चले आ रहे इन professionals को नियमित राज्य सेवा में लेने की कार्यवाही प्रारंभ की है। वर्ष 2008—09 में 1 हजार 368 डॉक्टर, 1 हजार 757 नर्सज, 1 हजार 228 ANMs, 528 लैब टेक्नीशियन और 96 सहायक रेडियो—ग्राफरों की नियमित नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। बिना योग्य व्यक्तियों के इस विशाल राज्य में स्वास्थ्य सेवायें सुचारु रूप से दिया जाना संभव नहीं है। अतः वर्ष 2008—09 में भी 7 हजार से अधिक नर्सज, जीएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी।

74. राज्य के बड़े भौगोलिक क्षेत्र के कारण आपातकाल की स्थिति में रोगियों को उच्च स्तरीय अस्पताल ले जाने की सुविधा नहीं

होती। विशेषकर, अगर गर्भवती महिलाओं हेतु यह सुविधा उपलब्ध कराई जाये तो IMR & MMR दोनों को ही कम करने में मदद मिलेगी। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि आगामी वर्ष से एक निजी Non-profit Organisation के सहयोग से, आंध्र प्रदेश के सफल अनुभव को देखते हुए, राज्य व्यापी 'धनवंतरी एंबुलेंस सेवा योजना' प्रारंभ की जायेगी। इसके माध्यम से अगले दो वर्षों में प्रदेश के किसी भी गाँव में, सूचना मिलने के 45 मिनट के अंदर-अंदर रोगी को ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना हेतु मैं आगामी वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूँ।

75. वर्तमान समय में सामान्य व्यक्ति के लिए गंभीर बीमारियों एवं major surgical procedures का खर्चा वहन करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। हमने पाँच जिलों—श्रीगंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बाँसवाड़ा में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा 8 दिसंबर 2007 को की थी। संभवतः हमारी इस पहल से प्रेरित होकर भारत सरकार भी अब BPL परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने जा रही है। इसमें राज्य के 8 जिले, जालौर, झालावाड़, टोंक, बीकानेर, राजसमंद, बारां, करौली और सवाईमाधोपुर सम्मिलित किये जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो हर जिला और हर नागरिक समान है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य सरकार अपने स्वयं के बल पर शेष 20 जिलों में भी यह योजना वर्ष 2008—09 से ही लागू करेगी। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

76. इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को एक smart card दिया जायेगा। मैं चाहती हूँ कि सभी BPL परिवार साथ ही इस smart card से चलित अपना बैंक खाता भी खुलवा लें। मैं घोषणा करती हूँ कि जो भी smart card से लाभान्वित परिवार, घर की महिला के नाम बैंक खाता खुलवायेगा, उसके खाते में, प्रोत्साहन स्वरूप, 1 हजार 500 रुपये राज्य सरकार जमा करायेगी। यह मानते हुए कि सभी BPL परिवार इस आव्हान को स्वीकार करेंगे, इस financial inclusion योजना पर लगभग 450 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

77. लेकिन ऐसा economic empowerment, बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिये। मैं चाहती हूँ कि समाज के अन्य वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, लघु एवं सीमांत कृषक आदि भी इस कदम को उठाकर समाज के आर्थिक ढांचे में सम्मिलित हों। अतः मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि ऐसे अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल करने हेतु एक योजना जून 2008 तक की अवधि में लागू कर दी जायेगी, जिसके तहत भी महिला के नाम बैंक खाता खुलवाने वाले प्रत्येक परिवार को समान 1 हजार 500 रुपये भेंट किये जायेंगे। यह मानते हुए कि इस योजना का लाभ लगभग 25 लाख और परिवार ले सकेंगे, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता आंकी गई है।

78. अतः BPL एवं अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिए financial empowerment की 'भामाशाह वित्तीय सशक्तीकरण योजना' कदाचित् विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना

होगी। इस हेतु प्रारंभिक तौर पर 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

जय जवान जय किसान :

79. जहाँ अन्य क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और उनके लिए योग्यताएं बढ़ाना आवश्यक है, वहाँ यह चिंतन भी आवश्यक है कि फिर भी अगले कई दशकों तक कृषि क्षेत्र राज्य में आजीविका का एक मुख्य हिस्सा रहेगा। अफसोस की बात है कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इसे भुला सा चुके हैं। लेकिन मेरी सरकार के लिए यह केवल एक भूला हुआ नारा नहीं है। किसान और जवान हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, वास्तव में हमारे जहन में सर्वोपरी हैं।

80. राज्य में कृषि के कुशल प्रबंध में पानी की उपलब्धता के अलावा खाद की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धि, साख में व्यापक वृद्धि एवं उत्तम श्रेणी के बीजों की अधिकाधिक उपलब्धि बहुत आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में :

- जहां वर्ष 2002—03 में वित्तीय प्रावधान 73 करोड़ 88 लाख रुपये था, वह वर्ष 2007—08 में बढ़ कर 497 करोड़ रुपये, यानी लगभग 7 गुना हुआ और वर्ष 2008—09 में यह 619 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- वर्ष 2003—04 में 1 हजार 178 क्विंटल ब्रीडर सीड उत्पादित हुआ। वर्ष 2007—08 में यह 8 गुना बढ़कर 8 हजार 900 क्विंटल हुआ।

- वर्ष 2002—03 के मात्र 2 हजार 748 करोड़ रुपये के कृषि ऋण के मुकाबले वर्ष 2006—07 में 8 हजार 130 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाए गये जो कि वर्ष 2002—03 के मुकाबले तीन गुना अधिक थे। इस वर्ष ये ऋण लगभग 11 हजार 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- कृषि कनेक्शन देने के संबंध में हमारे द्वारा वादे की पूर्ति की गई है। 31 मार्च 2003 तक की बकाया 1 लाख 70 हजार 740 आवेदनों में से अब 65 हजार 899 आवेदन ही शेष रहे हैं।

81. किसानों को सालों—साल बिजली के connection के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, मुझे स्वीकार्य नहीं है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैंने सर्वप्रथम लक्ष्य राज्य में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता करना रखा था। फीडर सुधार कार्यक्रम और बढ़ रही उत्पादन क्षमता से व्यवस्था में अब हम आमूल—चूल परिवर्तन लाने की स्थिति में हैं। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि :

- वर्ष 2003 के शेष रहे लगभग सभी 66 हजार आवेदकों को डिमाण्ड नोट अप्रैल से अक्टूबर 2008 तक की अवधि में जारी कर, मार्च 2009 तक connection दे दिये जायेंगे।
- वादे से भी अधिक, 26 हजार special category के आवेदकों को भी आने वाले वित्तीय वर्ष में connection दिये जायेंगे।
- यही नहीं। वर्ष 2004 से अब तक बिजली कंपनियों को लगभग 60 हजार और आवेदन प्राप्त हुए हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि इन सबको भी 2009 तक connection दे दिये जायेंगे।

- अतः लगभग 1 लाख 50 हजार कनेक्शन वर्ष 2009 तक दिये जायेंगे, जिससे कि दिसंबर 2007 तक प्राप्त हुआ एक भी आवेदन, वर्ष 2009 के बाद शेष नहीं रहेगा।
- मुझे आशा है कि तत्पश्चात् किसानों को connection, on demand मिला करेगा।

82. खाद की उपलब्धता में वर्षों से केन्द्र का शत-प्रतिशत control रहा है और सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि वर्ष-दर-वर्ष Urea एवं DAP की उपलब्धता में परेशानी आती रही है। यानी इंतजाम किसी और का, खामियाजा किसान का, और परेशानी राज्य सरकार की। वर्तमान रबी से हमने केन्द्र सरकार के वर्चस्व को dilute करने का निर्णय लिया, और 2 लाख मैट्रिक टन DAP का आयात कर, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया। माननीय सदस्य गवाह हैं कि इस साल मोटे तौर पर राज्य में DAP की कमी की शिकायत नहीं थी। अब हम इस वर्ष से न केवल DAP, परंतु Urea का भी इंतजाम इसी तर्ज पर सुनिश्चित करेंगे।

83. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूँ व दलहन के लिए कृषकों को उपलब्ध कराये जाने वाले बीज पर अनुदान देय है। भारत सरकार ने राज्य में केवल 15 जिलों का ही चयन किया है। परंतु प्रदेश भर में समान अनुदान रहे, यह सुनिश्चित करने हेतु मैं घोषणा करती हूँ कि जो जिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं हैं, उन जिलों में भी कृषकों को राज्य बीज निगम द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

84. Drip irrigation को बढ़ावा देने के लिए मैदानी फसलों और horticulture उत्पादन हेतु, चल रही सभी योजनाओं में, राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 10 एवं 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने की मैं घोषणा करती हूँ। इससे दिये जाने वाला अनुदान क्रमशः 60 एवं 70 प्रतिशत हो जायेगा।

85. कृषि मंडियों में आवंटन हेतु 10 प्रतिशत दुकानों अथवा भूखण्डों का किसानों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मैं इस आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत और इन सभी दुकानों और भूखण्डों का आवंटन केवल महिलाओं को ही करने की घोषणा करती हूँ।

86. महिलाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने कृषि शिक्षा में अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रारंभ कीं। वर्ष 2007-08 में 3 हजार 700 से अधिक छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये से अधिक की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले तीन वर्षों में आवश्यक कृषि शिक्षा पूर्ण करने वाली सभी छात्राओं को कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जायेगी। इसके अलावा सहायक कृषि अधिकारी के 138 पद, और कृषि अधिकारी के 96 पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

87. राजस्थान राज्य में वर्तमान में संभागीय स्तर पर किसान भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 से सभी जिलों में

जिला किसान भवनों का निर्माण प्रारंभ कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राज्य सरकार संबंधित मंडियों को capital cost का 33 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक का अनुदान देगी।

88. पिछले वर्षों में उद्यानिकी क्षेत्र में आँवले व संतरे का उत्पादन काफी बढ़ा है। आँवले के इस वर्ष गिरे हुए मूल्य से जो परेशानी किसानों को हुई है, उससे माननीय सदस्य भलीभांति अवगत हैं। बाजार भावों की अनिश्चितता से तभी कुछ हद तक बचा जा सकता है, जबकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में processing capacity हो। अतः आँवले व संतरे के प्रसंस्करण हेतु processing units की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार एवं विपणन बोर्ड ऐसी इकाइयों को, RIPS में उपलब्ध incentives के अतिरिक्त, पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत, 1 करोड़ रुपये की सीमा तक, अनुदान देगी। इसके अतिरिक्त, कृषि उपज मंडियों में public private partnership आधारित Post Harvest Management Training Institutions स्थापित किये जायेंगे।

89. सहकारी संस्थाएं राज्य के किसानों को फसली ऋण तथा कृषि उपकरणों इत्यादि के लिए साख उपलब्ध कराती हैं। साख उपलब्ध कराने का क्रम लगातार चलता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो और वे शीघ्र से शीघ्र IT को पूरी तरह से अपना लें। पूर्व वर्षों के non-performing ऋणों के कारण सहकारी बैंकों की कमजोर स्थिति को दुरस्त करने का कार्यक्रम

सरकार चला रही है। अब दीर्घ अवधि के ऋण देने वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की भी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक package शीघ्र ही घोषित किया जायेगा। साथ ही, मैं चाहती हूँ कि अपने ऋण सदैव समय पर जमा कराने वाले borrowers को भी सरकार recognise करे और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करे। राज्य सरकार 5 वर्षों से अधिक तक ऋण भुगतान में किसी तरह का default नहीं करने वाले किसानों को वर्ष 2008—09 के लिए interest subsidy देने की एक योजना चलायेगी। मैं इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि केन्द्र सरकार भी हमारी इस पहल से प्रेरित होकर सहकारी ऋणों के संबंध में योजना लायेगी।

90. राजस्थान में green cover बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण आवश्यक है। गत वर्षों में वन संबंधी गतिविधियों पर लगभग एक करोड़ मानव-दिवस प्रति वर्ष सृजित किये जाते रहे हैं। वर्ष 2008—09 में वन संबंधी कार्यों पर 300 लाख मानव-दिवस सृजित किये जायेंगे। राज्य में स्थित Desert National Park में लगभग 100 से अधिक great indian bustards हैं। इसी तरह राजस्थान का मरुस्थल Europe और Central Asia से अनेक प्रकार के migratory birds को आकर्षित करता है। वर्ष 2008—09 में सड़कों के बनाने, आवागमन के साधनों, पेयजल व अन्य जनसुविधाओं हेतु भूमि छोड़ते हुए Desert National Park में 3 से 5 लाख हैक्टेयर और क्षेत्र शामिल करने हेतु सर्वे कार्य किया जायेगा।

पशुपालन :

91. राज्य के कुल 285 पशु औषधालयों को चरणबद्ध तरीके से क्रमोन्नत करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में 140 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। वर्ष 2008-09 में 145 और पशु औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा, जिनमें खटकड़ भी शामिल होगा। चक्रेरी एवं ढिगला में पशु चिकित्सालय के लिए भवन का निर्माण किया जायेगा तथा नांगल और कंचनपुर में नये पशु उप-केन्द्र निजी सहभागिता से खोले जायेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों पर 250 पशु चिकित्सकों की भर्ती भी की जायेगी।

92. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ऊँट के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, ऊँट और ऊँट-पालकों को भी बीमा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार अनुदान प्रदान करेगी।

93. प्रदेश में लगभग 1 हजार veterinary स्नातक तथा लगभग 2 हजार पशुधन सहायक का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं। इन्हें रोजगार देने एवं पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से 'डाक्टर का अपना क्लिनिक योजना' लागू की जायेगी। इसके तहत ऐसे पशु चिकित्सा स्नातकों अथवा पशुधन सहायकों को पशु चिकित्सा रोग निदान एवं कृत्रिम गर्भादान केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार भूमि अथवा भूमि एवं भवन उपलब्ध करायेगी। साथ ही, 5 हजार रुपये प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से, 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुदान भी प्रदान किया जायेगा।

94. गौ-रक्षा में गौशालाओं का विशेष योगदान रहा है। माधव गौ-विज्ञान अनुसंधान संस्था में न केवल गायों को सुरक्षा प्रदान की है बल्कि उनके उत्पाद की करीब-करीब सभी आर्थिक संभावनाओं को establish किया है। अतः इस संस्था को किसान प्रशिक्षण केन्द्र के लिए और पञ्चगव्य रसायन शाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ। पथमेड़ा गौशाला की सहभागिता से जालौर में चरागाह का विकास एवं विस्तार किया जायेगा।

95. वर्तमान में विभिन्न milk unions द्वारा किसानों को दूध का भुगतान अलग-अलग दरों से किया जा रहा है। इसी राज्य का दूध उत्पादक, लेकिन एक इलाके में भुगतान 220 रुपये प्रति किलोग्राम fat, तो दूसरे इलाके में भुगतान 275 रुपये प्रति किलोग्राम fat के हिसाब से। यह असमानता पशु-पालकों के हित में नहीं है। अतः मैं चाहती हूँ कि अप्रैल 2008 से किसी भी milk union में दूध का भुगतान 280 रुपये प्रति किलोग्राम fat से कम दर पर नहीं किया जाये।

96. दुग्ध अर्थव्यवस्था एवं पशु-पालकों का आर्थिक हित इसी में है कि उन्हें अधिकाधिक सहकारी समितियों में संगठित किया जाये और इन समितियों को viable बनाया जाये। दूध का दाम 280 रुपये प्रति किलोग्राम fat दर से भुगतान करने वाली unions को नई अथवा वर्तमान में inactive सहकारी समितियों से दूध क्रय करने पर प्रति लाख

लीटर दूध पर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार देगी। इससे वे bulk chillers, processing units आदि स्थापित कर सकेंगी।

97. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन के महत्त्व से हम सब भली-भांति परिचित हैं। मेरा मानना है कि केवल पशुधन के विकास से ही हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, प्रति गाय औसतन उत्पादकता को हम 3 लीटर से दुगुना कर 6 लीटर तक ले जायें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की आय में बढ़ोतरी हो जायेगी। लेकिन इस पशुधन प्रधान प्रदेश में जितना ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिये था, उतना कदाचित अब तक नहीं दिया गया है। अतः मैं Rajasthan Mission on Animal Husbandry शुरू करने की धोषणा करती हूँ। वर्ष 2008-09 में इस मिशन के माध्यम से कार्यक्रमों के संचालन हेतु 20 करोड़ रुपये की राशि रखना प्रस्तावित कर रही हूँ।

सैनिक कल्याण :

98. सदियों से राजस्थान वीर-भूमि के रूप में प्रसिद्ध रहा है। आज भी इस प्रांत से लाखों सैनिक देश की सुरक्षा हेतु जाते हैं। मुझे बताया गया है कि हर वर्ष 6 हजार ऐसे वीर, 30 से 40 वर्ष की कम उम्र में, फौज से सेवानिवृत्त होकर वापिस घर आ जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर को remunerative या full-time job नहीं मिल पाता। इससे न केवल इनके physical fitness, mental alertness, और इनके रोम-रोम में भरी हुई देश-भक्ति का ये पूरा लाभ नहीं उठा पाते, बल्कि

समाज को भी इनके दुर्लभ गुणों का लाभ नहीं मिलता। मेरी समझ में कुछ और ठोस कदम उठाना आवश्यक है, जिनमें से कुछ की मैं घोषणा कर रही हूँ।

99. राजकीय सेवाओं में स्केल संख्या 1 से 6 के पदों पर फौज से सेवानिवृत्त हुए फौजी, कुछ पद छोड़कर, सबसे उपयुक्त सेवा दे सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं यह घोषणा करती हूँ कि इन पदों हेतु भूतपूर्व सैनिक होना एक आवश्यक योग्यता होगी। इसे प्रभावी करने हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन अगले 3 माह में किया जायेगा। द्वितीय, चूंकि सभी सैनिक भाईयों को इससे नौकरी नहीं मिल पायेगी, मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि आने वाले वित्तीय वर्ष में एक विशेष Ex-servicemen Placement Company का निजी सहभागिता से गठन किया जायेगा। इसके माध्यम से इन भूतपूर्व सैनिकों को आवश्यक skills प्रदान की जायेंगी, तथा इन्हें prospective employer से match किया जायेगा। तृतीय, बीमारी और अन्य कारणों से कई भूतपूर्व सैनिक जयपुर आते हैं, वहाँ उनके ठहरने का केवल एकमात्र स्थान सैनिक विश्राम गृह है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि इस विश्राम गृह पर 40 लाख रुपये का व्यय किया जाकर, इसकी क्षमता को लगभग दुगुना किया जायेगा।

100. नियमित सेवा में नियुक्ति के अलावा, राज्य सरकार कई परिस्थितियों में Ex-servicemen की casual अथवा contractual सेवायें भी प्राप्त करती है। वर्तमान में ऐसे कार्य हेतु इनको दिया जा रहा

भुगतान विभिन्न श्रेणियों के लिए भी एक ही दर से किया जाता है और वह भी बिल्कुल अपर्याप्त, 2 हजार 106 रुपये। अतः मैं कटारिया समिति की सिफारिशों से भी अधिक, निम्नानुसार भुगतान की दरें तय किये जाने की घोषणा करती हूँ:

S. No.	Post	Fixed remuneration (Rs. per month)
1	Security Guard	5500
2	Security Guard (armed)	6000
3	Supervisor	7500
4	Assistant Security Officer	11500
5	Security Officer	12000
6	Clerk	6000
7	Driver	7000
8	Plumber, Painter, Carpenter, Welder, Blacksmith etc.	6500

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता :

101. दरिद्रता से मुक्ति दिलाने और अशक्त को संबल प्रदान करने का संकल्प मैंने अपने पहले बजट में लिया था। इस ओर मेरी सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाये हैं :

- राज्य के शेष रहे 17 जिलों में मूकबधिर एवं नेत्रहीन बालकों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण संस्थानों की स्थापना।
- दो या दो से अधिक विकलांग सदस्यों वाले परिवारों को बीपीएल परिवारों के अनुरूप सुविधा।

- Physically challenged, वृद्धावस्था और विधवाओं की पेंशन 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिमाह ।
- स्वावलंबन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को बैंकों से दिये गये ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज की रियायत ।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 75 राजकीय एवं 25 अनुदानित छात्रावासों की स्थापना ।
- किराये के भवनों में संचालित 95 छात्रावासों हेतु भवनों का निर्माण ।
- छात्रावासों में निवास कर रहे विद्यार्थियों के भत्ते को बढ़ाकर 725 रुपये और शिशु गृहों में 850 रुपये प्रतिमाह किया गया ।
- पेंशन की पात्रता रखने वाली विधवा महिला के पुनर्विवाह पर 15 हजार रुपये का उपहार ।
- BPL परिवारों के लिए पन्नाधाय जीवन बीमा योजना प्रारंभ, जिसके तहत अब तक 7 हजार 690 परिवारों को 23 करोड़ 81 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है और 1 लाख 11 हजार बच्चों को 900 रुपये साल के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है ।

102. इस अभियान को जारी रखते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर Scooty प्रदान करने की जो योजना बनाई थी, उसमें संशोधन कर अब अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के विद्यालयों में

पढ़ने वाली बच्चियों के लिए अंक आवश्यकता को 65 प्रतिशत किया जायेगा।

103. हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता और परस्पर भाई—चारे के मूल सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। गुर्जर भाईयों की मांग के परीक्षण हेतु ऐतिहासिक कदम उठाते हुए न्यायाधीश श्री जसराज चौपड़ा समिति द्वारा की गयी अभिशंषाओं के अनुसार राज्य के अविकसित, सुविधाहीन और दूर—दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के विकास हेतु एक विशेष पैकेज तैयार करने का कार्य श्री रामदास अग्रवाल को सौंपा गया था। इनकी रिपोर्ट प्राप्त होते ही, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर, इन पर आधारित कार्य, 'देव नारायण योजना' के तहत चलाये जायेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन में वित्त—पोषण की कमी नहीं आने दी जायेगी।

104. पशुओं के साथ निष्क्रमण करने वाले पशु—पालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय हमने वर्ष 2005—06 में शुरू किया। अब इसका भवन भी जिला जालौर में निर्माणाधीन है। इस विद्यालय में पशु—पालकों के 191 बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसमें बच्चों ने जो अंक प्राप्त किये हैं वे बोर्ड—परीक्षा में प्राप्त औसत अंको से 20 प्रतिशत तक अधिक हैं। इन उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए, मैं घोषणा करती हूँ कि निष्क्रमण मार्गों पर दो और नये आवासीय विद्यालय, झालावाड़ एवं सागवाड़ा (डूंगरपुर) में बनाये जायेंगे। इस हेतु 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

105. अनुसूचित जाति के BPL परिवारों की कन्याओं के विवाह के समय राज्य सरकार द्वारा कन्यादान की सहयोग योजना चलाई जा रही है। इस योजना में विवाह के समय 21 साल या अधिक उम्र होने पर, देय राशि 10 हजार रुपये होगी, और यह सभी BPL परिवारों पर लागू होगी।

106. अनुसूचित जाति और जनजाति, के परिवारों के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में चयन हेतु वर्तमान में अनुप्रति योजना चलाई जा रही है। मेरी समझ में IITs, IIMs एवं राष्ट्रीय स्तर के Medical Colleges इत्यादि में प्रवेश IAS या RAS में आने से कम नहीं है। अतः मैं घोषणा करती हूँ कि देश के इन शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए संशोधित अनुप्रति योजना वर्ष 2008-09 से चलाई जायेगी।

107. गाँवों में अब भी कमजोर वर्गों के मौहल्ले को ही सबसे अधिक आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। अतः मैं प्रस्तावित करती हूँ कि MLA – LAD योजना की 20 प्रतिशत राशि SC एवं ST बस्तियों और संबल गाँवों में विकास कार्यों हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य हो। सदन की सहमति हो तो योजना में संशोधन यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

108. ITIs एवं अन्य औपचारिक शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश हेतु लगभग सभी trades में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लेकिन

कई कारणों से अनेक बच्चे, विशेषकर कमजोर वर्गों के बच्चे, स्कूल तक की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, हालांकि ये विभिन्न trades में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। इनको भी रोजगार हेतु प्रशिक्षित किये जाने की दृष्टि से RMOL के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजातियों के आठवीं कक्षा उत्तीर्ण लगभग 2 लाख बच्चों को रोजगार योग्य बनाने के लिए 'एकलव्य' के नाम से एक नया कार्यक्रम अगले वर्ष प्रारंभ किया जायेगा।

109. हर बच्चा अनमोल है और वास्तव में धरती पर आया हुआ तारा। Physically challenged छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में अनुरक्षण भत्ते की देय दर वर्तमान में 85 से 240 रुपये प्रतिमाह तक की है। वर्ष 2008—09 से इस भत्ते को बढ़ाकर 150 से 750 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। इसी प्रकार शारीरिक रूप से challenged व्यक्तियों द्वारा बैंकों से ऋण लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए चलायी जा रही विश्वास योजना में देय अनुदान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जायेगा। अधिकतम अनुदान की राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये की जायेगी। Physically challenged बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय संचालन करने वाली संस्थाओं को दी जाने वाली भोजन भत्ते की राशि को 675 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 725 रुपये प्रतिमाह की जायेगी।

110. विभिन्न कारणों से आज वृद्ध लोगों के साथ उनके बच्चों का रहना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति समाज के सम्पन्न और

निर्धन सभी वर्गों में हैं। मैं राज्य में वृद्धजनों के लिए एक PPP आधारित old-age home 'चिरायु योजना' वर्ष 2008-09 से प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत शहरों में भवन हेतु एकमुश्त अनुदान, और ग्रामीण इलाकों में रियायती दरों पर भूमि एवं भवन हेतु अनुदान दोनों ही दिये जा सकेंगे। ऐसे भवनों का सही उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था के संचालक मंडल में पर्याप्त संख्या में सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि रखे जायेंगे। अगर ऐसा old-age home निर्धन वृद्धजनों के लिए निःशुल्क चलाया जाता है, तो प्रति वृद्धजन राज्य सरकार नकद सहायता देने पर भी विचार करेगी।

111. अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के बच्चों की post matric scholarship scheme के न केवल 47 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने release नहीं किये हैं, जिससे कि हजारों छात्र परेशान हैं, बल्कि केन्द्र सरकार 'ना हींग लगे ना फिटकरी' मुहावरे को चरितार्थ करना चाहती है। केन्द्र सरकार इस योजना का केन्द्रीय योजना के रूप में श्रेय तो लेना चाहती है, परंतु, वर्ष 2007-08 में 136 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय में से केवल 9 करोड़ रुपये ही वहन करना चाहती है। मेरा भारत सरकार को प्रस्ताव है कि वह कम से कम आधा व्यय उठाये। यदि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो मैं घोषणा करती हूँ कि यह पूरी योजना हम अपने खर्चे से चलायेंगे।

जनजाति विकास :

112. आश्रम छात्रावासों में बच्चों को सोने के लिए पलंग एवं बिस्तर इत्यादि जैसी सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, परंतु पढ़ाई के लिए

सबसे आवश्यक मेज—कुर्सी नहीं है। ये बच्चे शहरी छात्रों से कम नहीं हैं। अतः मैं इन सभी छात्रावासों में वर्ष 2008—09 में ही मेज और कुर्सी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रावधान कर रही हूँ। इसके अलावा, जनजाति उप योजना क्षेत्र में दस बालिका छात्रावासों का और सहरिया क्षेत्र में तीन बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा। इनमें से एक बालिका आश्रम छात्रावास सिसारमा में खोला जायेगा।

113. राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अंबेडकर एवं आश्रम छात्रावासों के दैनिक प्रबंध हेतु शिक्षकों के नहीं मिलने से अनेक परेशानियाँ आती हैं। अतः इन सभी छात्रावासों को संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर, उसके अधीन किया जायेगा। ये समितियाँ, इन छात्रावासों का संचालन NGOs और SHGs के माध्यम से करवा सकेंगी, और शिक्षकों अथवा वार्डनों की कमी होने पर, स्थानीय व्यवस्था कर सकेंगी।

114. राज्य के जनजाति क्षेत्र के विकास व जनजाति समुदाय के परिवारों की उन्नति के लिए एक holistic approach रखते हुए ज़मीनी हकीकत से जुड़ी विकास योजनाएं बनाना जरूरी है। अतः जनजाति विकास की परियोजनाओं को बनाने और उनके संचालन में मार्गदर्शन देने हेतु Tribes Advisory Council को और सुदृढ़ किया जायेगा।

115. वर्ष 2002—03 में महाराष्ट्र पैटर्न के तहत 10 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। महाराष्ट्र पैटर्न के तहत आवंटन साल—दर—साल

बढ़ाते हुए वर्ष 2007-08 में 80 करोड़ रुपये किया गया। अब मैं आगामी वर्ष में इसे 125 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव कर रही हूँ।

116. राज्य वनों को समेकित करते समय जनजाति के सदस्यों की पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से पूर्ण मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, हालांकि, ecological system को बचाने और बनाये रखने के लिए ये वन के अभिन्न अंग हैं।

117. अब आखिर वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को दिनांक 31.12.2007 से प्रभावी कर दिया है। इस अधिनियम एवं नियमों के तहत विभिन्न स्तर की समितियों का गठन अतिशीघ्र कर, ग्राम सभाओं की बैठकें मार्च महीने में ही प्रारंभ कर दी जायेंगी।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज :

118. गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा तो उसके गाँवों में बसी है। ग्रामीण विकास की ओर मेरी सरकार विशेष रूप से सजग रही है। प्रदेश में पहली बार जिला योजनाओं को तैयार किया गया है। ग्रामीण विकास में वर्ष 2002-03 में 472 करोड़ 71 लाख रुपये

का राज्य योजना में व्यय हुआ था। वर्ष 2008—09 में यह व्यय financial inclusion के 425 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित, 1 हजार 764 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

119. बैकुण्ठद्वार मुक्तिधाम योजना वर्ष 2007—08 में प्रारंभ की गई थी। इस वर्ष इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 57 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, या प्रगति पर हैं। मैं अगले वर्ष भी इस योजना हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही हूँ।

120. महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाने हेतु नदियों एवं अन्य तालाबों के साथ घाट बनाने के लिए निर्मल घाट योजना के तहत वर्ष 2007—08 में प्रारंभ की गई है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 निर्मल घाट पूर्ण कर लिये गये हैं और 38 का कार्य प्रगति पर है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 75 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। आगामी वर्ष में इस योजना हेतु मैं 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित करती हूँ।

121. National Rural Employment Guarantee Scheme का विस्तार कर इसे 1 अप्रैल 2008 से पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। जैसाकि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं इन कार्यों पर कार्यरत अधिकतर श्रमिक महिलाएं हैं। NREGS कार्यों पर कोई महिला, अपने सैंकड़ों कामों के अलावा, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए 100 दिन की कड़ी मजदूरी करे, तो उसका सम्मान आवश्यक

है। अतः रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जो भी महिला एक वर्ष में 100 दिन तक कार्य करेगी, उसे एक साड़ी, या उसके समान मूल्य का घाघरा-ओढ़नी देने की मैं घोषणा करती हूँ। मैं वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की जाने वाली 'अमृता देवी विशनोई योजना' हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान कर रही हूँ, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जायेगा।

122. राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ करना एवं राज्य की आर्थिक उन्नति में भागीदार बनाना चाहती है। खनिज से प्राप्त रॉयल्टी की 1 प्रतिशत राशि को अंशदान के रूप में पंचायतों को दिये जाने की सिफारिश द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने वर्ष 2001 में की थी, लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। माननीय सदस्य यह जानकर खुश होंगे कि हमने यह राशि पंचायती राज संस्थाओं को देना प्रारंभ किया है। इस वर्ष कुल 23 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

123. जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए इनके सदस्यों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि बैठक में भाग लेने हेतु इनके दैनिक भत्ते की राशि की बढ़ोतरी की जाये, जो कि मैं निम्न प्रकार घोषित करती हूँ:

जिला परिषद सदस्य	45 रुपये से	75 रुपये
पंचायत समिति सदस्य	35 रुपये से	60 रुपये
वार्ड पंच	30 रुपये से	40 रुपये

124. ग्राम सेवक ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायत राज व्यवस्था की सफलता के लिए बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। लेकिन इनको पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अतः मैं संवर्ग में 20 प्रतिशत पदों को एक नये वेतनमान 4200—115—6500 में वरिष्ठ ग्राम सेवक के पदों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करती हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि ग्राम सेवकों के 1 हजार 50 रिक्त पदों को अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भरा जायेगा।

125. मैंने गत वर्ष मगरा, डांग और मेवात विकास बोर्ड का बजट 5—5 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी। अब मैं इनका बजट बढ़ा कर 7 करोड़ रुपये प्रस्तावित करती हूँ। ये बोर्ड दूसरे विभागों को आवंटित कार्य क्षेत्र के कामों को duplicate किये बिना अपने क्षेत्रों में ऐसे कार्य करवायेंगे जो इन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान कर सकें।

126. ग्रामीण इलाकों में BPL परिवारों के लिए चल रही इंदिरा आवास योजना में केन्द्र सरकार से इतना सीमित आवंटन होता है कि इन परिवारों की आवासीय समस्या का अंत नजर नहीं आता। अतः मैं राज्य सरकार, पंचायत एवं आवासन मंडल की सहभागिता से एक अभिनव 'घरौंदा योजना' प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इसके तहत ग्राम स्वास्थ्य योजना में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले गाँवों में कमजोर तबके के परिवारों हेतु आवासों का निर्माण किया जायेगा, जिसके तहत ऐसे परिवार केवल 10 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर अपना स्वयं का मकान प्राप्त कर सकेंगे।

127. वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत है। मेरी समझ में महिलाओं की जनसंख्या अगर आधी है, तो आरक्षण केवल एक—तिहाई ही नहीं होना चाहिये। अतः मैं यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूँ।

देवस्थान, पर्यटन, कला व संस्कृति :

128. धार्मिक आस्था और सर्व धर्म सम्मान हमारे संस्कारों में है। राज्य सरकार मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु प्रतिबद्ध है और वर्ष 2005—06 से ही इस कार्य में जुटी है। इन प्रयासों से अब तक :

- 10 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय कर, 156 मंदिरों का विकास एवं जीर्णोद्धार वर्ष 2006—07 तक पूर्ण किया जा चुका है।
- चालू वर्ष में 12 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से 66 मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं विकास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से 22 कार्य मार्च 2008 तक पूर्ण हो जायेंगे। वर्तमान में चल रहे 44 कार्यों के लिए आवश्यक 6 करोड़ 34 लाख रुपये वर्ष 2008—09 के बजट में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इनमें श्री गिर्राज परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यकरण एवं विकास व श्री गौतम धाम, सिरोही के विकास कार्य सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2008—09 में श्री गोटिया आंबाजी, बांसवाड़ा की विकास योजना हेतु 1 करोड़ 4 लाख रुपये सहित मंदिरों के विकास हेतु कुल 2 करोड़ 1 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

129. इसके अतिरिक्त, मैं वीर तेजाजी मंदिर, खरनाल, जिला नागौर के जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य हेतु अगले वर्ष 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूँ।

130. पूजा-स्थलों को बिजली आपूर्ति पर अभी गैर-घरेलू श्रेणी के अनुसार दर लगाई जाती है। मैं अब 5 किलोवॉट तक load वाले सभी पूजा-स्थलों के विद्युत कनेक्शन्स को घरेलू श्रेणी में बदलने की घोषणा करती हूँ।

131. राजस्थान गौरवशाली एवं प्रेरणादायक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाला प्रदेश है। मेरी सरकार ने धरोहरों के सतत् एवं समयबद्ध संरक्षण एवं विकास हेतु जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन किया था। इस प्राधिकरण और कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से :

- जन-सहयोग एवं कारसेवा से पौराणिक तीर्थ बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार एवं नवीन घाटों का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।
- बलिदान की प्रतिमूर्ति सलूंबर की हाड़ा रानी के प्राचीन महल का जीर्णोद्धार कर, उनकी जीवनी को प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- भक्त शिरोमणी मीरांबाई की जीवनी को मेड़तासिटी के राव दूदागढ़ में आम श्रद्धालुओं के समक्ष प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना स्वीकृत।

- राज्य धर्म रक्षार्थ संघर्ष करने वाले राणा सांगा एवं हसन खां मेवाती की जीवन—गाथा को प्रदर्शित करने वाला स्मारक स्वीकृत।
- सवाईमानसिंह टाउनहाल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय का रूप दिया जा रहा है, जोकि अद्वितीय होगा।
- महाराजा सूरजमल के गौरवशाली एवं प्रेरणादायक जीवन को चिरस्थायी बनाने हेतु भरतपुर के किशोरी महल व निकटवर्ती स्थल को संरक्षित एवं विकसित कर स्मारक बनाया जायेगा।
- श्रद्धासुमन, लोकपूज्य देवता वीर गोगाजी का गोगामेड़ी में उनके जीवन के प्रेरणादायक घटनाक्रमों को प्रदर्शित करने वाला 'पैनोरमा' बनाया जायेगा।
- लोक देवता वीर तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, संत पीपाजी एवं अन्य महापुरुषों, शूरों तथा संतों के जीवन को प्रदर्शित करने वाले 'पैनोरमा' की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाना प्रारंभ।

132. गुरु गोविन्द सिंह जी ने समाज में बराबरी, बहादुरी, स्वाधीनता और त्याग का सबक दिया। उन्होंने पंजाब के तलवण्डी साहिब से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब तक यात्रा की थी, जिसमें लगभग 750 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में थी। चूरू के साहवा साहिब पर उनका ठहराव रहा था। गुरु गोविन्द सिंहजी के जन्म की 342वीं वर्षगांठ पर मैं घोषणा करती हूँ कि साहवा साहिब के सरोवर का

जीर्णोद्धार और उसके आस-पास के इलाके का सौंदर्यकरण, चूरु जिले में नोहर-साहवा-चूरु सीमा से साहवा साहिब को मुख्य मार्ग से जोड़ने और जयपुर-नारायणा-नसीराबाद मार्ग पर नारायणा के नजदीक सावरदा साहिब को मुख्य मार्ग से जोड़ने के कार्य किये जायेंगे, जिन पर 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत अनुमानित है।

133. मैंने इस वर्ष 200 मदरसों में कंप्यूटर और आवश्यक साज-सामान के लिए 50 हजार रुपये प्रति मदरसा के हिसाब से एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। वर्ष 2008-09 में 400 मदरसों के लिए इस कार्य हेतु 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही, मदरसा बोर्ड के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित की जायेगी।

134. हमारे मंदिर, प्राचीन किले और हमारी विरासत और हमारे प्रदेश की अनूठी सुंदरता देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। फलस्वरूप पर्यटन, राज्य की अर्थ व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बन गया है। हमने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। वर्ष 2003-04 में जहाँ पर्यटन, कला एवं संस्कृति विकास पर 13 करोड़ 80 लाख रुपये का व्यय किया गया था, उसकी तुलना में वर्ष 2004-05 में 33 करोड़ 59 लाख रुपये, वर्ष 2005-06 में 26 करोड़ 13 लाख रुपये, वर्ष 2006-07 में 33 करोड़ 48 लाख रुपये का योजनागत व्यय किया गया। वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमानों में इस क्षेत्र हेतु 65 करोड़ 78 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। जयपुर में The Great Indian Travel Bazar का आयोजन अप्रैल 2008 में किया

जा रहा है, जो भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पहला pan-India अंतर्राष्ट्रीय Travel Mart होगा।

135. शाही रेलगाड़ी की राजस्थान में सफलता से प्रेरित होकर अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक ने भी ऐसी रेलों को प्रारंभ किया है। हमारी वर्तमान palace on wheels आमतौर पर पूरी तरह आरक्षित रहती है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हमने Royal Rajasthan on Wheels नाम से दूसरी पर्यटक रेल शुरू करने पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, और यह रेल दिसंबर 2008 तक प्रारंभ हो जायेगी।

136. राजस्थान की समृद्ध विरासत गाँव-गाँव में बसी है। वैसे भी विदेशी पर्यटक ही नहीं, भारतीय शहरवासी भी, गाँवों की सरल जिंदगी और ताजा वायुमंडल का आनंद लेना चाहते हैं। अतः ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना आवश्यक है और मैं घोषणा करती हूँ कि सर्वप्रथम प्रयोगात्मक रूप में इसे टोडारायसिंह, जिसकी बावड़ियां और मंदिर, जिनकी सुंदरता विस्मयकारी है, और जैसलमेर में कुलधरा सहित पालीवाल गाँवों, से प्रारंभ किया जायेगा।

137. राज्य में Rajasthan Civil Aviation Corporation ने कार्य प्रारंभ कर दिया है और इस निगम ने अपने सीमित बेड़े से व्यवसायिक चार्टर सेवाएं शुरू कर दी हैं। भारत में बढ़ती हुई हवाई-यात्राओं के कारण pilots की आवश्यकता बढ़ेगी। अतः राज्य सरकार की 14 हवाई पट्टियों को निजी सहभागिता से pilots एवं अन्य अधीनस्थ

सेवाकर्ताओं के प्रशिक्षण अकादमियों के रूप में विकसित किया जायेगा। इससे इन हवाई-पट्टियों का रख-रखाव भी बेहतर होगा, और इनका उपयोग charter flights के लिए भी किया जा सकेगा।

138. बढ़ते हुए ट्रेफिक को देखते हुए, इसका बेहतर प्रबंधन और वाहन चालकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। अतः राज्य में 15 परिवहन जिलों में driving tracks का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है और वर्ष 2008-09 में शेष 19 परिवहन जिलों में भी इस कार्य को प्रारम्भ करना प्रस्तावित करती हूँ।

शहरी विकास :

139. पर्यटन और ट्रेफिक का जिक्र हमारा ध्यान शहरों की ओर आकर्षित करता है, जिन्हें हमें न केवल पर्यटन की दृष्टि से सुंदर और स्वच्छ रखना है, बल्कि इनमें बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, इनकी विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं की ओर ध्यान देना है। शहरी विकास हेतु :

- 1 हजार 370 करोड़ रुपयों से अधिक का व्यय किया जा कर, Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP) के तहत 186 कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किये जा चुके हैं। अब यह परियोजना समाप्ति पर है।
- अब हमारी सरकार ने 15 शहरों, यथा अलवर, झालावाड़, जैसलमेर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, धौलपुर, करौली, चूरू, नागौर, सवाई माधोपुर एवं सीकर के

विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेकर 1 हजार 560 करोड़ रुपयों की लागत का Rajasthan Urban Services and Development Investment Project (RUSDIP) शुरू किया है।

140. राज्य में इसके अलावा कम से कम 30 ऐसे और शहर हैं, जिनमें तत्काल आधारभूत सुविधाओं का upgradation आवश्यक है। इनके विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने की दृष्टि से राज्य सरकार अगले वर्ष RUIDFCO के माध्यम से Urban Infrastructure Bonds जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इसी प्रकार, RUIDP से विकसित हुए शहरों के और विकास हेतु, बिना राज्य गारन्टी के, ऐसे bonds संबंधित नगरपालिकाएं जारी करेंगी।

141. जयपुर शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ इनकी parking की समस्या उत्पन्न होने लग गई है। इस समस्या के निराकरण की दृष्टि से नई पार्किंग पॉलिसी बनाई जायेगी जिसमें Tradable Rights देने के संबंध में भी आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।

142. जयपुर शहर में सुविधाएं बढ़ाने के अलावा इसके सौन्दर्यकरण की ओर भी ध्यान दिया गया है। मैं घोषणा करती हूँ कि 35 किलोमीटर लंबे अमानीशाह नाले को स्मृति वन की तर्ज पर विकसित किया जायेगा। इस हेतु सरकार द्वारा, जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की साझेदारी से Public Private

Partnership model के तहत एक कंपनी का गठन किया जायेगा। इसी प्रकार, जयपुर के प्रवेश द्वार इस शहर की एक विशेष पहचान रहे हैं। बड़े हुए शहर में प्रवेश के अब जो नये रास्ते उपलब्ध हैं उन पर भी प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जायेगा ताकि हम पंडित विद्याधरजी द्वारा दी गई धरोहर में योगदान कर, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में छोड़ सकें। राज्य के अन्य नगर विकास न्यास भी इस प्रकार के प्रवेश-द्वार निर्मित करेंगे।

143. शहरों में construction श्रमिक अपने रोजगार के लिए प्रतिदिन सुबह शहरों के विभिन्न स्थानों पर एकत्रित होते हैं। इन स्थानों पर शेड, पीने के पानी, टायलेट इत्यादि की वर्तमान में कोई सुविधा नहीं है। राज्य सरकार चुनिंदा स्थानों पर पीने के पानी और सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम अथवा नगर पालिका को capital cost का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करायेगी। पहले चरण में यह कार्य जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा शहरों में हाथ में लिया जायेगा।

144. शहरों के विस्तार एवं जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ विभिन्न आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। इनमें सामान उठाने वाले कुली, किराये पर लेकर रिक्शा चलाने वाले, पान वाले, धोबी, फुटपाथ पर बाल काटने वाले नाई, जूते आदि ठीक करने वाले, थड़ी वाले आदि शामिल हैं, जिनके पास साधनों का अभाव होने के साथ-साथ access to credit भी नहीं है। वास्तव में, ये हमारे सबसे अच्छे नागरिकों में से हैं, क्योंकि न तो ये सरकार की ओर नौकरी

हेतु देखते हैं बल्कि बिना किसी support के, कड़ी मेहनत से अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं। अतः इन वर्गों, विशेषकर कमजोर परिवारों की महिलाओं हेतु, विभिन्न schemes चलाने की दृष्टि से मैं घोषणा करती हूँ कि वर्ष 2008-09 में एक Rajasthan Mission on Urban Poverty गठित किया जायेगा जिसमें SC, ST Corporation जैसी संस्थाएं भी re-structure होकर सम्मिलित होंगी। इस Mission द्वारा संचालित की जाने वाली प्रारंभिक गतिविधियों के लिए मैं 10 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही हूँ। आवश्यकता पड़ने पर Mission के कार्यों के लिए और अधिक राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

145. रोड़वेज के कुलियों के लिए बसों में यात्रा के लिए सुगम सुविधा, बस स्टैंडों पर विश्राम-स्थल, धोबियों के लिए शहरों में उपयुक्त स्थानों पर धोबी-घाट, समाचार-पत्र वितरक आदि इन सभी समूहों के लिए सामूहिक स्वास्थ्य और जीवन बीमा, और बन रहे नये वाणिज्यिक एवं रिहायशी परिसरों में सस्ते stalls के आरक्षण, आवास निर्माण, इनके समाज के लिए छात्रावास जैसे मुद्दों पर यह मिशन विचार करेगा।

146. ऐसे छोटे व्यवसायियों को अपने काम-धंधे के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उन्हें Self Help Groups में गठित किया जायेगा। इससे ये व्यवसायी अपना स्वयं का रिक्शा, थड़ी, और दुकान के लिए छोटी-छोटी बचत से राशि जोड़ सकेंगे और आवश्यक credit प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे Self Help Groups के माध्यम से लिए गये ऋणों को, समय पर चुकाने पर, राज्य सरकार की ओर से

दो प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु मैं 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करती हूँ। ऐसे व्यवसायियों के लिए एक गृह निर्माण योजना भी बनाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, समस्त महिला SHGs को भी इसी प्रकार और इसी दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

147. सैन समाज के आराध्य देव श्री सैन जी महाराज की जयंती और धोबी समाज के देव श्री गाडगे महाराज की जयंती को ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

अच्छा शासन :

148. प्रदेश के दूरस्थ गाँवों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल में आँगनबाड़ियों का विशेष योगदान रहा है। परंतु इनमें कार्यरत आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों के योगदान को पर्याप्त महत्त्व नहीं मिला है। मैंने दिनांक 8 दिसंबर 2007 को इनका मानदेय कम से कम डेढ़ गुना किये जाने की घोषणा की थी। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि इस निर्णय को न केवल 1 अप्रैल 2008 से लागू किया जा रहा है, बल्कि बढ़े हुए मानदेय की दर डेढ़ गुना से कुछ अधिक कर इसे निम्न प्रकार बढ़ाया जा रहा है :

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता	1000 रुपये से	1600 रुपये
साथिन	500 रुपये से	1000 रुपये
सहायिका	500 रुपये से	800 रुपये

149. राजस्थान में open jail का प्रयोग सफल रहा है एवं इसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई है। वर्ष 2008—09 में दस नई open jail बनाने के लिए भी मैं प्रस्ताव करती हूँ। इस हेतु 1 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

150. बहादुरी के लिए पदक मिलने वाले राजस्थान के वीरों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कारों में से कुछ में निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं :

वीर चक्र	70 हजार रुपये से	1 लाख रुपये
शौर्य चक्र	50 हजार रुपये से	75 हजार रुपये
राष्ट्रपति पुलिस एवं फायर सर्विसेज पदक	वर्तमान में देय नहीं है	75 हजार रुपये
राष्ट्रपति फायर सर्विसेज पदक	वर्तमान में देय नहीं है	50 हजार रुपये
राष्ट्रपति होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस पदक	वर्तमान में देय नहीं है	50 हजार रुपये
फायर सर्विसेज पदक	वर्तमान में देय नहीं है	30 हजार रुपये
होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस पदक	वर्तमान में देय नहीं है	30 हजार रुपये

151. जिन पदकों के लिए पुरस्कार पहली बार घोषित किये जा रहे हैं, उनको भी इंदिरागांधी नहर परियोजना द्वितीय फेज में 25 बीघा सिंचित भूमि अथवा उसके एवज में 2 लाख रुपये दिये जायेंगे।

152. स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन को मैंने वर्ष 2005 में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह किया था। अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करती हूँ। स्वतंत्रता सैनानी के देहावसान पर उसके क्रियाकर्म के लिए निकटतम रिश्तेदार को 2 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इस राशि को बढ़ाकर 5 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

153. स्वाधीनता के समय Covenanted States द्वारा उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों आदि को दी जा रही पेंशन अब राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस पेंशन राशि में अंतिम बार revision वर्ष 2000 में किया गया था। इस पेंशन राशि को बढ़ाकर तीन गुना करने की मैं घोषणा करती हूँ।

154. न्यायालयों में litigants को पेशी के दिन न्यायालय परिसरों में कठिनाइयों के अभाव के कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। Subordinate Courts में litigant sheds, वकीलों के लिए कॉमन रूम व अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2008–09 में उपलब्ध कराई जायेगी।

155. बूंदी जिले में वर्ष 1953 में 600 काश्तकारों, जिनमें से दो-तिहाई अनुसूचित जाति जनजाति और BPL परिवारों से हैं, को अधिक अन्न उपजाओ अभियान के तहत दी गई राजकीय भूमि का रियायती दर पर नियमन किया जायेगा।

156. अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं के सदस्यों के transferable jobs को, और राज्य आवासों की सीमित उपलब्धता, को देखते हुए यह आवश्यक है कि अन्य कुछ प्रदेशों की भांति उनको अपना स्वयं का एक मकान प्रदेश में बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। इस हेतु, अन्य कोई मकान नहीं होने की शर्त पर, जयपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मंडल और नगर विकास न्यासों द्वारा आरक्षित दर पर भूखंड अथवा मकान अथवा ग्रुप हाऊसिंग हेतु भूखंड आवंटित किये जायेंगे। इस योजना का लाभ उठाने वालों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया जायेगा। इस हेतु विस्तृत योजना शीघ्र जारी की जायेगी।

157. राज्य में पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से शाहपुरा (भीलवाड़ा) तथा बीकानेर ग्रामीण में दो नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किये जायेंगे। सरमथुरा, बस्सी, कोटा (ग्रामीण), गंगरार, हिण्डोली, भीलवाड़ा सदर, रावतसर और बड़ी सादड़ी में आठ नये पुलिस circle स्थापित किये जायेंगे। 25 नये पुलिस stations का सृजन तथा 139 नयी पुलिस चौकियां भी स्थापित की जायेंगी।

158. पुलिस विभाग में वाहन, हथियार, उपकरण और ammunition की कमी सालों से महसूस की जा रही थी। हमने इनका पुनः आकलन कर, अब मानदंड निर्धारित कर दिये हैं, जिससे हर वर्ष पुलिस विभाग के पुराने वाहनों को नये वाहनों से बदला जा सकेगा और हथियार एवं अन्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध होते रहेंगे। आपराधिक

मामलों के investigation के लिए बीकानेर में एक नई forensic science lab की स्थापना भी वर्ष 2008–09 में की जायेगी।

159. यह सरकार जब शासन में आई थी, पुलिस के हजारों पद रिक्त थे। हमने पिछले वर्षों में 7 हजार 200 नियुक्तियां की हैं और 4 हजार 500 से ज्यादा नियुक्तियां देने की प्रक्रिया चालू है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या, खोले जा रहे नये थाने एवं चौकियां, और उत्पन्न हो रहे नये threats and challenges को देखते हुए, एवं प्रतिलाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखते हुए, हमने force की आवश्यकता के भी मानदंड निर्धारित किये हैं। इनके आधार पर, और खुल रहे नये थानों और चौकियों की आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में 2 हजार 750 और नये पद सृजित किया जाना आवश्यक है। अगले वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैं exclusively थानों और चौकियों हेतु 3 हजार कांस्टेबल्स के पद सृजित किये जाने की घोषणा करती हूँ। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि ये सभी पद अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार माह में भर लिये जायेंगे।

160. पुलिस विभाग में हमने नये recruitment व महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया था। वर्ष 2007–08 में की गई 1 हजार 257 भर्तियों में से 276 महिलाओं की भर्ती की गई। नई भर्तियों में भी 30 प्रतिशत पद महिलाओं से भरने का प्रावधान होगा।

161. राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य का कर्मचारी वर्ग हमारी सरकार के सत्ता में आने के समय बहुत त्रस्त और असंतुष्ट था। हमने राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता समय पर देना शुरू किया। राज्य कर्मचारियों को बोनस पुनः चालू किया। उनके 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को वेतन में बदला। कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण हेतु मैं घोषणा करती हूँ कि :

- 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की बकाया किश्त आज जारी की जा रही है। केवल एक माह को छोड़कर, बाकी राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
- कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य के निजी और चैरीटेबल अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- वर्ष 2008—09 में 15 दिवस के उपार्जित अवकाश को समर्पित कर नकद भुगतान लेने की सुविधा दी जायेगी ताकि 50 प्रतिशत के स्थान पर सभी राज्य कर्मचारी यह लाभ ले सकें।
- पूर्व में की गयी बजट घोषणा के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए यात्रा—भत्ता नियमों में 16 वर्ष बाद संशोधन कर नई दरों को आज से लागू किया जा रहा है।
- दिल्ली में कार्यरत RAC समेत राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिए, वहां सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का कार्यालय खोला जायेगा।

162. मैंने वर्ष 2006—07 में प्रशासनिक संरचना में गतिशीलता और पारदर्शिता लाने में सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष स्थान की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मुझे हर्ष है कि इस ओर हम कुछ ठोस प्रगति कर सके हैं। इस कार्यक्रम को और गति देते हुए, वर्ष 2008—09 में :

- गाँव—गाँव तक राजकीय सुविधाओं की स्थिति और जनता के द्वारा उनके उपयोग को monitor करने के लिए e-gram प्रणाली, जिसके जरिये किसी भी समय कंप्यूटर पर इन सभी सेवाओं की स्थिति को जाना जा सकता है, का विस्तार कर इसकी access जनता को भी दी जायेगी।
- राज्यव्यापी RAJSWAN नेटवर्क स्थापित किया जायेगा।
- कोषालय प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी हैं। राज्य के सभी कोषालयों में वर्ष 2008—09 में system re-engineering और single transaction पर आधारित कंप्यूटरीकरण किया जायेगा जिससे कि सभी वित्तीय transactions की विस्तृत सूचना real time में उपलब्ध होगी।
- राज्य में लागू की गई अक्षत और विश्वकर्मा योजनाओं का भी पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण किया जायेगा ताकि हर लाभान्वित व्यक्ति को उसकी स्वयं की पूर्ण सूचना हर समय उपलब्ध रहे।
- इसी प्रकार पेंशन का कंप्यूटरीकरण कर, एक centralised pension payment system लागू किया जायेगा जिससे पेंशनर किसी भी बैंक के माध्यम से अपने लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपने खाते की विस्तृत सूचना घर बैठे देख सकेंगे।

- राज्य में दी जा रही post matric छात्रवृत्तियों के लाभान्वितवार रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण कर सूचना on line उपलब्ध कराई जायेगी।
- खान व भू-विज्ञान विभाग की कार्य प्रणाली में गति और पारदर्शिता लाने के लिए computerisation और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए DMG On-line Management System लागू किया जाएगा।

कर प्रस्ताव

163. महोदय, कर प्रस्तावों की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए, आपकी अनुमति से मैं अब इन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

164. मैंने गत चार वर्षों के बजट बनाते समय यह ध्यान रखा है कि जहाँ राज्य कोष समृद्ध हो, वहाँ जनता पर कर का बोझ भी कम पड़े। इस चुनौती का सामना वित्त व्यवस्था में कर के दायरे को विस्तृत कर, tax leakage को रोक कर, तथा प्रभावी नीतियों से tax buoyancy को सुनिश्चित कर, हमने किया है। इस दिशा में वैट की सफल एवं सहज क्रियान्विति एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ।

प्रक्रिया का सरलीकरण

165. वैट लागू करने पर हमने सदन को आश्वस्त किया था कि सरकार ऐसी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करेगी, जिससे व्यवहारियों को परेशानी नहीं हो। इसी क्रम में वाणिज्यिक कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, तथा राज्य में 31 जनवरी, 2008 से इस on line computerized system (Raj-Vista) के माध्यम से व्यवहारियों को e-filing of return एवं e-payment की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे न केवल समय की बचत होगी, अपितु इस हेतु व्यवहारियों को बैंक एवं विभागीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता कम होगी। मुझे विश्वास है कि कम्प्यूटरीकरण से, पूर्ण कर प्रशासन प्रणाली पारदर्शी होगी, एवं अधिक से अधिक व्यवहारी इन सुविधाओं का लाभ उठायेंगे।

166. व्यवहारियों को वैट प्रणाली में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु मैं निम्न और प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ:—

- व्यवहारियों को शीघ्र रिफण्ड उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से, वैट के electronic refund दिये जाने की पारदर्शी व्यवस्था अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की जायेगी।
- वर्तमान में वैट व्यवहारियों को केवल त्रैमासिक रिटर्न के आधार पर self assement की सुविधा प्राप्त है। अब उन्हें यह विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है कि वे वार्षिक अथवा मासिक return के आधार पर भी कर निर्धारण करवा सकें।
- रिटर्न एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की e-filing करने वाले, अथवा इनकी soft copy प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों को, वार्षिक ऑडिट—रिपोर्ट पेश करने से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- ऐसे Works Contractors, जो मुक्ति शुल्क का विकल्प अपनाते हैं, उन्हें त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब इनको वर्ष में एक ही वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
- Works Contractors को ठेके के अवार्ड होने के 30 दिन में मुक्ति शुल्क का विकल्प देने की व्यवस्था है। इस अवधि में ठेकेदारों को विकल्प प्रस्तुत करने में आने

वाली कठिनाइयों को देखते हुए, मैं विकल्प प्रस्तुत करने की इस अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन करना प्रस्तावित कर रही हूँ।

- Capital Goods का input tax credit वर्तमान में 12 मासिक किश्तों में दिया जाता है। उद्योग जगत की मांग रही है कि किश्तों की संख्या को कम किया जाये। अतः अब यह सितम्बर एवं मार्च, दो अर्द्धवार्षिक किश्तों में दिया जाना प्रस्तावित है।
- क्रेता द्वारा VAT invoice के आधार पर खरीदे गये माल की वैट राशि को विक्रेता द्वारा राज्य कोष में जमा नहीं कराने के कुछ प्रकरण सामने आये हैं। क्रेता व्यवहारियों को ऐसी राशि का रिफण्ड लेने पर कानूनी परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। यह तो निश्चित ही है कि अगर कर राज—कोष में जमा नहीं होता है, तो राशि का रिफण्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवहारियों की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि input tax credit क्लेम करने वाले व्यवहारी अगर चाहें तो आपसी सहमति से बेचानकर्ता के behalf पर, उसी के नाम से और उसी के टिन नम्बर पर, कर जमा करा सके। इससे उत्पादक—व्यवहारियों के लिए यह अनिश्चितता नहीं रहेगी कि, जिस जमा कर के पेटे उन्हें रिफण्ड लेना है, वह जमा हुआ या नहीं।

- विभिन्न न्यायालयों में, लम्बित प्रकरणों को आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण हेतु, वैट एक्ट के अधीन Tax Settlement Board का गठन किया गया है। वर्तमान में इस बोर्ड में केवल राजकीय अधिकारी ही सदस्य हैं। बोर्ड की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दृष्टि से, इसमें शीघ्र ही दो non-official सदस्यों की नियुक्ति कर, इसे प्रभावी रूप से कार्यरत किया जायेगा।
- अलवर औद्योगिक दृष्टि से राज्य का अग्रणी जिला है। इस जिले के व्यवहारियों को टैक्स संबंधी अपील दायर करने के लिये भरतपुर जाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु वाणिज्यिक कर उपायुक्त अपील का कार्यालय अलवर में स्थापित करने की घोषणा करती हूँ।
- उद्योग-व्यापार समूह की सुविधा के लिये वस्तुओं की कर दर बाबत हो रही भ्रांतियों का निराकरण करना आवश्यक है। इस दिशा में, व्यवसायों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त, मैं राज्य में अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त HSN (Harmonized System of Nomenclature) व्यवस्था, अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक लागू करना प्रस्तावित कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि HSN व्यवस्था लागू होने से, व्यवहारियों को पर्याप्त राहत मिलेगी।

167. राज्य की inter-state सीमा पर स्थित वाणिज्यिक कर विभाग की चैक पोस्टों पर, व्यवहारियों को हो रही विभिन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु, तथा अन्तर-राज्य अबाध माल परिवहन को सुनिश्चित करने के लिये, मैं राज्य की सभी 67 सीमा चैक पोस्टों को 1 मई, 2008 से समाप्त किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। यह कदम, राजस्थान को हमारे देश में स्वच्छ एवं पारदर्शी वाणिज्यिक कर व्यवस्था अपनाने वाले अग्रणी प्रदेश का दर्जा देगा। चैक पोस्टों की समाप्ती के साथ ही राज्य में आयात किये जाने वाले एवं राज्य से बाहर जाने वाले, सभी कर योग्य माल के लाने-लेजाने के दौरान VAT-47 एवं VAT-49 साथ रखा जाना प्रस्तावित करती हूँ।

168. Central Sales Tax Act, 1956 में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में किये गये कतिपय संशोधनों के संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण, राज्य के व्यवहारियों द्वारा C-Form प्रस्तुत नहीं किये गये। चूंकि व्यवहारियों द्वारा पूर्ण दर से कर वसूल नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में C-Form के अभाव में उनसे अतिरिक्त कर वसूल किया जाना उचित नहीं होगा। अतः राज्य में उद्योग एवं व्यापार के हित में दिनांक 13 मई, 2002 से 25 सितम्बर, 2005 की अवधि में हुई, बिना C-Form समर्थित inter-state sales पर राज्य दर से अधिक कर दायित्व अपलेखित किया जाना प्रस्तावित है।

169. जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, Central Sales Tax Act, 1956 की धारा 8 को दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि सी-फार्म नहीं देने की स्थिति में व्यवहारियों द्वारा देय टैक्स, राज्य की दर से अधिक नहीं होगी। यह एक सार्थक

संशोधन है, और इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसी वस्तुएँ, जिनमें राज्य की टैक्स दर कम हो, वहां पूर्व प्रावधान के अनुसार 10 प्रतिशत कर आरोपित करना किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप, मैं ऐसे व्यवहारी जो दिनांक 26 सितम्बर, 2005 और 31 मार्च, 2007 के बीच सी-फार्म नहीं जमा करवा पाये, उन पर राज्य की कर दर से अधिक किये गये करारोपण को भी अपलेखित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

170. वैट के क्रियान्विति के उपरान्त, टैक्स से संबंधित कई विसंगतियाँ, राज्य के व्यवहारियों की कठिनाइयाँ, और स्थानीय महत्व के उत्पाद की आर्थिक एवं सामाजिक महत्ता को देखते हुए, समय-समय पर, विभिन्न वस्तुओं पर लागू कर दर में छूट दी गई थी। इस प्रकार VAT के प्रथम वर्ष 2006-07 में दी गई रियायतों में समानता लाने के लिये, इनकी भूतलक्षी रूप से प्रभावी होने की तिथि सशर्त 1 अप्रैल, 2006 करना प्रस्तावित है।

171. रॉयल्टी की राशि विक्रय मूल्य का भाग होने से इस पर वैट का दायित्व बनता है, लेकिन मार्बल व्यवसायियों द्वारा इस राशि पर वैट नहीं चुकाया जा रहा था। अब व्यवहारियों ने इस राशि पर भी वैट का भुगतान आरम्भ कर दिया है। अतः मार्बल उद्योग के हित में 1 अप्रैल, 2006 से 15 जनवरी, 2008 तक की अवधि के लिये रॉयल्टी राशि पर वैट को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

172. हैण्डलूम को छोड़कर अन्य सिल्क फेब्रिक पर 4 प्रतिशत का कर दायित्व व्यवहारियों के द्वारा असमंजस की स्थिति के कारण उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए,

1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिये, कर दायित्व के विकल्प के रूप में कम्पोजिशन स्कीम प्रस्तावित है।

173. गत वर्ष हमने राज्य के रंगाई—छपाई उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु बिना सिली हुई bed sheet एवं textile screen design को कर मुक्त किया था। हाथ से बने Wooden Hand Blocks द्वारा छपाये जा रहे वस्त्र आदि, विश्व में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। मैं रंगाई—छपाई में प्रयुक्त किये जा रहे Wooden Hand Blocks को कर से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूँ।

174. व्यावसायिक, औद्योगिक एवं उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, कुछ वस्तुओं की कर दर में निम्नानुसार परिवर्तन प्रस्तावित है —

- आमजन द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले Wick-Stove and Kerosene-Stove को कर मुक्त किया जा रहा है।
- राजस्थान में भोजन का स्वाद पापड़ के बिना अधूरा रहता है। पापड़ को और स्वादिष्ट करने हेतु, पापड़ के विनिर्माण में काम में आने वाले पापड़—खार को भी कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- शारीरिक एवं आत्मिक, दोनों के सुधार हेतु, उपवास एवं चुगगे के काम आने वाली कांगणी को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

- ACSR Conductor जो वर्तमान में 12.5 प्रतिशत कर योग्य हैं, को राज्य के उद्योगों के हित में, 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- गौ—माता के वरदानों को पुनः याद करते हुए, गोबर गैस प्लान्ट तथा इसके पार्ट्स को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।
- हमारे दैनिक जीवन में कामगारों, विशेषकर चेजा कारीगर, धोबी, खाती, बाल काटने वाले एवं चमड़े का काम करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, इनके द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे non electrically operated hand tools करणी, गुरमाला, लोहे की छेनी, सावल, गुनियों, रन्दा, बसौला, कोयलाप्रेस, hair cutting machine, जूते मरम्मत में उपयोग में आने वाला फर्मा, तथा लोहे के wire brush को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- हमारे राज्य पर सूर्य देव की अथाह कृपा है। सूर्य किरण से प्रदूषण रहित अक्षय ऊर्जा से संचालित धरेलू उपयोग के लिये सौर—चूल्हे को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

175. राज्य में used कारों पर देय कर के आरोपण में आ रही कठनाईयों को देखते हुए, इन कारों पर देय कर को वास्तविक विक्रय मूल्य पर लगाया जाना प्रस्तावित है।

176. राज्य में विभिन्न लिमिटेड कम्पनियों द्वारा परिचालित stores में फल एवं सब्जी का भी विक्रय हो रहा है। ऐसे विक्रेताओं द्वारा बेची जा रही फल सब्जियों पर 4 प्रतिशत कर प्रस्तावित है। उम्मीद करती हूँ कि इससे थड़ी आदि पर फुटकर फल—सब्जी बेचने वालों को राहत मिलेगी।

177. राज्य के मार्बल एवं कोटा स्टोन उद्योगों को उन पर लग रही 12.5 प्रतिशत वैट दर के कारण, व्यापार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं सभी प्रकार के मार्बल एवं finished कोटा स्टोन पर वैट दर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

178. 31 मार्च, 2006 तक, KVIC अथवा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत ऐसी ग्रामीण औद्योगिक ईकाइयाँ जो उक्त तिथि तक कर मुक्त थी, के द्वारा विनिर्मित उत्पादों को गत बजट में 31 मार्च, 2008 तक कर मुक्त किया गया था। ऐसे खादी ग्रामोद्योगों की कर मुक्ति की अवधि को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

179. भारतीय खाद्य निगम द्वारा SGSRY हेतु बेचे गये गेहूँ पर कर की छूट की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

180. राज्य के उपभोक्ताओं एवं दलहन उद्योग के हित में, दलहन पर रियायती कर दर 1 प्रतिशत की अवधि को भी 31 मार्च, 2009 किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटन

181. राज्य में पर्यटन आधारित उद्योग के त्वरित विकास के लिये विमान सेवाओं में वृद्धि आवश्यक है। वर्तमान में aviation spirit (ATF) पर 28 प्रतिशत की दर से कर आरोपित है। राज्य में विमान सेवा के लिये hub की स्थापना पर, पंजीकृत फ्लाईंग क्लब का संचालन करने पर तथा राज्य के ऐसे प्रमुख शहर जो विमान सेवा से बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, विमान सेवा से जोड़ने पर संबंधित वायुयानों द्वारा aviation spirit (ATF) पर 4 प्रतिशत कर देय होगा।

मनोरंजन कर

182. स्वस्थ मनोरंजन एक सामाजिक आवश्यकता है। छोटे कस्बों में सिनेमा ही मनोरंजन का प्रमुख साधन है। ऐसे सभी कस्बों, जिनकी आबादी एक लाख से कम है, में Projector द्वारा संचालित सिनेमाघरों को राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 के तहत देय कर, 1 अप्रैल, 2008 से शतप्रतिशत मुक्त करना प्रस्तावित कर रही हूँ।

183. जैसाकि सदस्यों को ज्ञात है, मनोरंजन कर की दर को गत चार वर्षों में हमने 70 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। अन्य मनोरंजन के साधनों की सुलभता से सिनेमा उद्योग पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मैं मनोरंजन कर की वर्तमान कर दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 1 अप्रैल, 2008 से 30 प्रतिशत करना प्रस्तावित कर रही हूँ। इसके साथ सिनेमा दर्शकों से वसूल की जा रही utility fee को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

184. सिनेमाघर के प्रबन्धकों को, टिकिटों की दरों में परिवर्तन करने की छूट नहीं है। सिनेमा उद्योग में मौजूदा चलन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में flexibility लाने की आवश्यकता है। अतः मार्केट की मांग के अनुरूप, सिनेमाघर मालिकों को 1 अप्रैल, 2008 से टिकिटों की दरों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के लिये अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

185. वैट की भांति सिनेमा मालिकों को भी e-filing of return एवं e-payment की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

186. मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगी कि तत्कालीन सरकार के निर्णय के मुताबिक 31.3.2002 तक चालू होने वाले सिनेमा हॉल्स को 5 साल तक मनोरंजन शुल्क से शत-प्रतिशत छूट दी गई थी। परन्तु मल्टीप्लेक्स के लिये 18 फरवरी, 2002 को इन रियायतों को वापस ले लिया गया। सिनेमा उद्योग में मंदी को देखते हुए, 31 मार्च, 2002 तक चालू मल्टीप्लेक्स को प्रारम्भिक तीन वर्षों हेतु मनोरंजन कर में शत-प्रतिशत छूट, चौथे वर्ष के लिये 90 प्रतिशत एवं पाँचवें वर्ष के लिये 80 प्रतिशत सशर्त छूट देना प्रस्तावित है।

187. सैटेलाइट के माध्यम से direct to home (DTH) broadcasting service के बढ़ते हुए प्रचलन को देखते हुए इस प्रकार उपलब्ध कराये जा रहे मनोरंजन को कर की परिधि में लाया जाना प्रस्तावित है। Service providers द्वारा इस क्रम में वसूल की जा रही राशि पर 10 प्रतिशत मनोरंजन कर प्रस्तावित है। इस संबंध में आवश्यक विधिक प्रावधान वित्त विधेयक में किये जा रहे हैं।

विलासिता कर

188. राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में निजी कम्पनियों ने उच्च गुणवत्ता के कई अस्पताल स्थापित किये हैं। इन अस्पतालों में सम्पन्न श्रेणी के मरीजों के लिये उच्च कोटि के सुविधायुक्त कमरे भी उपलब्ध हैं। ऐसे कमरे जिनका किराया 1000 रुपया प्रतिदिन से ज्यादा है, उन पर नियम के मुताबिक विलासिता कर देय है। राज्य के चिकित्सा के क्षेत्र में निजी निवेश पर स्थापित अस्पतालों के अवदान को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि, ऐसे अस्पतालों, जिनको रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गयी है, उनके द्वारा 20 प्रतिशत indoor एवं 20 प्रतिशत outdoor गरीब मरीजों को निशुल्क सेवा उपलब्ध कराने पर, कमरों पर विलासिता कर देय नहीं होगा। जिन अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध नहीं कराई गयी है, उनके द्वारा गरीब मरीजों को उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाने पर देय कर से छूट प्रदान की जायेगी।

उद्योग

189. हमारा यह प्रयास रहा है कि राज्य के आर्थिक विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक हिस्से तक पहुँचे। राज्य में अनेक ऐसे जिले हैं जहां अभी तक बड़े उद्योग नहीं हैं। ऐसे जिलों में उद्योग लगाने के लिये निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मैं घोषणा करती हूँ कि ऐसे जिलों में पहले तीन, 500 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों को, customised incentive package दिया जायेगा। यह

प्रोत्साहन योजना 2010—11 तक लागू रहेगी। RIPS 2003 की अवधि को भी कुछ संशोधनों के साथ 2010—11 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

190. हमारा सदैव प्रयास रहा है कि राज्य में रूग्ण उद्योग पुनः चालू हों, ताकि निवेश एवं रोजगार के लिये अच्छा वातावरण बने। इस दिशा में प्रस्तावित है कि उद्यमियों द्वारा रूग्ण ईकाइयों को 31 मार्च, 2009 तक पुनः चालू करने पर, औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत बकाया राशि के लिये deferment की सुविधा देय होगी। मुझे विश्वास है कि इससे बन्द पड़े अथवा रूग्ण उद्योग पुनः क्रियाशील होकर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ायेंगे।

पंजीयन एवं मुद्रांक

191. राजस्थान स्टाम्प एक्ट के तहत चल सम्पत्ति जैसे कि टी.वी., फ्रिज के विक्रय पर आधा प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। मैं चल सम्पत्ति के विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता को समाप्त करना प्रस्तावित करती हूँ।

192. राजस्थान स्टाम्प एक्ट की धारा 65 एवं 67 के अन्तर्गत पंजीयन के मामले में अपील एवं रिवीजन की स्थिति में अपीलकर्ता अथवा रिवीजनकर्ता द्वारा विवादित राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने का प्रावधान है। इससे, भारी मात्रा में राशि अपील/रिवीजन दायर करने से पहले ही जमा करानी पड़ती है। फलस्वरूप लोगों को आर्थिक परेशानी के साथ अपने विधिक अधिकार से वंचित होने की सम्भावना रहती है। अतः 50 प्रतिशत राशि के स्थान पर अपील/रिवीजन करने से

पहले 25 प्रतिशत राशि जमा करने का प्रावधान किया जा रहा है। इस संबंध में सदन की इसी सत्र के दौरान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

193. सम्पत्ति के विक्रय पंजीयन के समय कई मामलों में यह देखा गया है कि निर्धारित DLC Rate से अधिक कीमत पर पंजीयन किया जा रहा है। सम्पत्ति के वास्तविक दर पर ही अधिक पंजीयन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, मैं प्रस्तावित करती हूँ कि सरकारी संस्थान अथवा स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित, बेचान या निलाम की गई भूमियों को छोड़कर, DLC Rate से अधिक दर से पंजीयन कराने की स्थिति में, DLC Rate से अधिक राशि पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी।

194. राज्य के आर्थिक विकास त्वरित होने से औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय उपयोग के लिये कृषि भूमि के खरीद-बिक्री पर दबाव बढ़ा है। non-agriculture प्रयोजन के लिये कृषि भूमि खरीदी जाकर, उसके तुरन्त बाद भूमि रूपान्तरण किया जा रहा है। इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में हानि हो रही है। कृषि भूमि का बिक्री के पश्चात् non-agriculture प्रयोजन के लिये conversion होने की स्थिति में, अन्तर की राशि पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

भूमि कर

195. वर्ष 2006-07 से Finance Act 2006 के तहत राज्य में कुछ किस्मों की भूमियों पर भूमि-कर देय है। भूमि की परिभाषा और कर प्रभावी होने की तिथि को लेकर कुछ कानूनी एवं व्यवहारिक

समस्याएँ उभर कर आई है। अतः Finance Act 2006 में संशोधन, वित्त विधेयक के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

खनिज अधिकार पर उपकर

196. माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य में खनिज का विशाल भंडार है। यह एक non-renewable resource है। अतः यह आवश्यक है कि यह केवल पूंजीपतियों के लिए ऐसे संसाधन, लाभ का स्रोत नहीं हो कर, इस प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर गरीब व असहाय के, विकास का साधन बनें। अतः मैं खनिज अधिकार पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर (cess) लगाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इससे प्राप्त राशि को affected ecological area में पर्यावरण के विकास एवं जनस्वास्थ्य हेतु ही व्यय किया जायेगा। इस संबंध में विधिक प्रावधान वित्त विधेयक में किये जा रहे हैं।

मकराना क्षेत्र में रायल्टी प्रक्रिया का सरलीकरण

197. विश्व प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र में मार्बल पर देय रॉयल्टी का मामला कुछ समय से उलझा हुआ है। वर्तमान में processing के लिये आ रहे royalty paid मार्बल ब्लॉक पर कटिंग के बाद 50 प्रतिशत waste मानकर बहिर्गमन को नियमित किया जाता है। processing की तकनीकी में आ चुके व्यापक सुधार को ध्यान में रखते हुए, waste की मात्रा 30 प्रतिशत माना जाकर, 70 प्रतिशत finished material के बहिर्गमन को नियमित करना प्रस्तावित है।

परिवहन

198. निरन्तर बढ़ते हुए परिवहन वाहनों की संख्या को देखते हुए, तथा उससे हो रहे प्रदूषण के मध्यनजर, गत वर्ष से राज्य में संचालित 7 साल से अधिक अवधि के बसों एवं ट्रकों पर ग्रीन टैक्स लागू है। तिपहिया वाहनों को छोड़कर, अब इस अवधि को 5 वर्ष करने, एवं इन पर 200 रुपये प्रति वर्ष के स्थान पर 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से, ग्रीन टैक्स लगाना प्रस्तावित है। यहां मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि इससे मिलने वाले राजस्व को पर्यावरण सुधार और जन स्वास्थ्य सेवाओं हेतु इस्तेमाल किया जायेगा।

199. मोटर वाहन कर के नियमों की जानकारी के अभाव में वाहन स्वामियों पर कई बार न केवल कर, अपितु इस पर penalty भी देय हो जाती है। इसी परिस्थिति में वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से :—

- वाहन जो अस्तित्व में नहीं है, एवं नष्ट हो चुके हैं, ऐसे वाहन के नष्ट होने के संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि के बाद का कर एवं शास्ती माफ करना प्रस्तावित है। वाहन मालिक की बकाया राशि 31.3.2009 तक जमा करवानी होगी, तथा वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तरीकरण हेतु समर्पित करना होगा।
- राज्य के बाहर पंजीकृत परिवहन वाहनों पर दिनांक 31.3.2007 तक के बकाया कर को 31.3.2009 तक जमा

करवाने पर इस पर देय चार गुणा शास्ती को घटाकर, कर के बराबर करना प्रस्तावित करती हूँ।

- स्कूटर, कार इत्यादी निजी वाहनों के हस्तान्तरण (Transfer) पर देय बकाया अतिरिक्त एक बारीय कर की राशि 31.3.2009 तक जमा करवाने पर, इस पर देय शास्ती को माफ करना प्रस्तावित है।
- मोटर वाहनों पर दिनांक 31.3.2005 तक के बकाया कर को दिनांक 31.3.2009 तक, जमा करवाने पर इस पर देय शास्ती को माफ करना प्रस्तावित है।
- महीने की किसी भी तारीख को, कन्ट्रेक्ट कैरेज वाहनों, परमिट लेने पर पूरे महीने का विशेष पथ कर देना पड़ता है। परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों की लम्बे समय से लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए, मैं, महीने की शेष बची अवधि के आधार पर pro-rata कर निर्धारित करना प्रस्तावित करती हूँ।

200. मेरे द्वारा प्रस्तुत इन कर प्रस्तावों के द्वारा लगभग 70 करोड़ रुपये की अनुमानित राहत दी गई है, जिसकी पूर्ति नये कर प्रस्तावों से कर ली जायेगी।

वर्ष 2007—08 के संशोधित अनुमान :

201. मैंने अपने वर्ष 2004 के बजट भाषण में अच्छे शासन के साथ राजकोषीय सुधार की बात कही थी। वह जिम्मेदारी हमने निभाई है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राज्य की वित्तीय स्थिति आज इतनी सुदृढ़ है, जितनी पिछले पाँच दशकों में कभी नहीं रही।

202. हमारा मानना है कि वित्तीय प्रबंधन के मामलों में राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने FRBM Act न केवल बनाया, परन्तु उसकी letter and spirit से पालना भी की। वर्ष 2008 के राजनैतिक compulsions के बावजूद, वर्ष 2008—09 में भी मेरे द्वारा न केवल अभूतपूर्व राजस्व आधिक्य प्रस्तावित है, बल्कि राज—कोषीय घाटा भी, FRBM Act की आवश्यकतानुसार 3 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। मुझे मेरी पार्टी और मेरी सरकार पर गर्व है कि प्रदेशवासियों की तिजोरी को पूर्ण जिम्मेदारी से संभाल कर, हमने statesmanship दिखाई है।

203. गत बजट भाषण में मैंने FRBM Act में संशोधन कर Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund का सृजन किया था। वर्ष 2006—07 में, घोषणानुसार, इसमें 100 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण किया गया। FRBM Act में हमारे द्वारा डाली गई धारा 6A के अनुसार इस वर्ष इसमें 531 करोड़ 75 लाख रुपये का हस्तान्तरण आवश्यक है। चुनावी वर्ष होने के बावजूद, इन 531 करोड़ 75 लाख रूपयों का हस्तान्तरण इस निधि में प्रस्तावित किया जा रहा है।

204. इस सरकार ने अपनी हर जिम्मेदारी तो निभाई ही है। इसके अतिरिक्त, पूर्व सरकार द्वारा छोड़े गए दायित्वों का निपटारा भी किया है। वर्ष 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भंग करते समय तत्कालीन सरकार द्वारा 1 हजार 665 करोड़ 81 लाख रुपये के ऋण को अपलिखित करने का वायदा किया गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आज तत्कालीन सरकार के वायदे को पूरा करते हुए सम्पूर्ण 1 हजार 665 करोड़ 81 लाख रुपये का अपलेखन भी प्रस्तावित कर रही हूँ।

205. गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय मैंने सभी नवीन घोषणाओं को पूरी तरह से वित्त-पोषित करने के लिए आवश्यक 1 हजार 251 करोड़ रुपये की राशि का एकमुश्त प्रावधान किया था। इस वर्ष मेरे बजट भाषण के माध्यम से घोषित नई योजनाओं की लागत लगभग 1 हजार 780 करोड़ रुपये है। इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन वर्ष 2008-09 के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो सके इसके लिए 876 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान विशिष्ट योजना heads में ही प्रस्तावित किया जा रहा है। इन सभी नये प्रस्तावों का संकलन Budget Volume No. 1 में दिया गया है। नई योजनाओं की बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने Rajasthan Investment Fund के नाम से एकमुश्त 900 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया है।

206. विपक्ष के कई साथी समय-समय पर राज्य सरकार पर भारी कर्जा लादने का आरोप लगाते रहे हैं। मैं उन्हें अवगत करा दूँ कि

तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2002—03 में राज्य के सकल उत्पाद के 6.84 प्रतिशत के बराबर कर्ज लिया था। यदि हम इसी दर से कर्ज लेते तो वर्ष 2008—09 में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले कर्ज की राशि 12 हजार 66 करोड़ रुपये होती। इसकी तुलना में मैं मात्र 5 हजार 769 करोड़ रुपये के कर्ज का ही प्रावधान कर रही हूँ।

207. वैसे, हमारे अच्छे और जिम्मेदार वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में मुझे स्वयं कुछ कहना आवश्यक नहीं रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने, अपनी वर्ष 2006—07 की रिपोर्ट में जो कहा है उसके कुछ उद्धरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगी।

"The state has achieved fiscal targets as laid down in the FRBM Act much before the time line indicated therein with the current year ending in a revenue surplus of Rs. 638 crore and fiscal deficit of Rs. 3970 crore which was 2.8% of the GSDP. The ratio of outstanding debt liabilities during 2006-07 was also within the ceiling prescribed under the FRBM Act."

"The persistent negative resource gap indicates non-sustainability of debt while the positive resource gap strengthens the capacity of the state to sustain the debt. While 2001-04 reflects the negative gap, 2004-07 reflects the positive gap indicating increasing capacity of the state to sustain the debt in the medium to long term."

"During the year - - - the focus of the government seems to be on discharging past debt obligations both on account of principal and interest payments on loans

raised from the market as well as from Government of India."

"The primary deficit, which persisted in the state budget till 2004-05 also took a turn around and resulted into a primary surplus during the last two years."

"Despite an increase of Rs. 514 crores in capital expenditure and decrease of Rs. 121 crores in loans and advances - - - fiscal deficit was reduced by Rs. 1180 crores on account of surplus of Rs. 1298 crores in revenue account and increase of Rs. 275 crore in non-debt capital receipts during 2006-07 over the previous years. FD- GSDP ratio decreased from 4.1% in 2005-06 to 2.8% in 2006-07."

"The balance from current revenue which became positive during 2005-06 was Rs. 2204 crores during 2006-07 - - - indicating ample funds were available for creation of assets and to meet state plan schemes."

"Table 30 reveals that the revenue account experienced a situation of huge deficit during the period 2001-05 - - - The deficit was reduced sharply to Rs. 660 crore during 2005-06 and revenue deficit turned in to a surplus of Rs. 638 crores during the current year."

208. वित्तीय प्रबन्धन कैसा है, यह उपरोक्त से स्वतः ही स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा मानना है कि जितने अधिक संसाधन हम जुटाएंगे, उतना ही हम राज्य की जनता की सुविधा में बढ़ोतरी कर पाएंगे। हमारी वित्तीय स्थिति तो इससे भी अच्छी

होती अगर, दुर्भाग्यवश, केन्द्र सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया होता। आपदा राहत कोष में ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि 2000—2005 की समाप्ति पर शेष रहे 430 करोड़ 65 लाख रुपये राज्य को राजस्व प्राप्तियों के रूप में उपलब्ध होने चाहिए थे, परंतु केन्द्र सरकार ने केवल 71 करोड़ 20 लाख रुपये ही उपयोग में लेने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, राज्य को 359 करोड़ 45 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियों से वंचित किया गया। इसी तरह, ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि समाप्ति पर fiscal reform facility fund में अवशेष रही राशि में राज्य का हिस्सा 438 करोड़ रुपये बनता है। परंतु, केन्द्र सरकार यह राशि राज्यों को नहीं देकर स्वयं का घाटा पूरा कर रही है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार हमें वर्ष 2005—06 में 263 करोड़ रुपये की ऋण माफी मिलनी थी परंतु केन्द्र सरकार ने इसे वर्ष 2005—06 में हमें दिया नहीं और वसूली करली। फिर गत वर्ष इस राशि का समायोजन वर्ष 2025 में देय ऋण के पेटे कर दिया है। हमारी मांग है कि हमसे नकद में वसूल की गई यह राशि हमें अभी नकद में ही वापिस मिलनी चाहिये। ये तो कुछ ही दृष्टांत हैं, जिनकी राशि ही 1 हजार 150 करोड़ रुपये से अधिक है।

209. सदस्य भले ही ना—पक्ष के हो, या फिर हाँ—पक्ष के। दोनों ही राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जो राशियाँ रोकी गई हैं वह प्रदेश की जनता की है। इन राशियों को प्राप्त करने में मैं पूरे सदन, विशेषकर विपक्ष, से सहयोग मांगती हूँ और सभी से एक बार फिर राजनीति के ऊपर उठने का आव्हान करती हूँ।

210. वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों में कुल राजस्व आय 28 हजार 599 करोड़ 49 लाख रुपये, राजस्व व्यय 28 हजार 384 करोड़ 73 लाख रुपये एवं राजस्व आधिक्य 214 करोड़ 76 लाख रुपये अनुमानित किया गया था। इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में राजस्व व्यय 29 हजार 881 करोड़ 4 लाख रुपये है, जो बजट अनुमानों की तुलना में 5.27 प्रतिशत व गत वर्ष के वास्तविक व्यय से 19.75 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में राजस्व आय 30 हजार 128 करोड़ 42 लाख रुपये है, जो बजट अनुमानों की तुलना में 5.35 प्रतिशत व गत वर्ष की राजस्व आय से 17.73 प्रतिशत अधिक है। परिणामतः संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व आधिक्य 247 करोड़ 38 लाख रुपये है।

211. वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों में राज्य का राजकोषीय घाटा 5 हजार 321 करोड़ 52 लाख रुपये था। संशोधित अनुमानों में राज्य का राजकोषीय घाटा 5 हजार 420 करोड़ 86 लाख रुपये है। संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा राज्य के अग्रिम GSDP अनुमान का 3.40 प्रतिशत है।

212. वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य को राजस्व व पूंजीगत कुल 39 हजार 340 करोड़ 92 लाख रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान है एवं 39 हजार 154 करोड़ 63 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष के कार्य-कलापों से राज्य में 186 करोड़ 29 लाख रुपये का बजट अधिशेष अनुमानित है।

213. वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(निकटतम लाख रुपये में)

1. राजस्व प्राप्तियां	30 हजार	128 करोड़	42 लाख
2. राजस्व व्यय	29 हजार	881 करोड़	4 लाख
3. राजस्व खाते में आधिक्य		247 करोड़	38 लाख
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	9 हजार	212 करोड़	49 लाख
5. पूंजीगत व्यय	9 हजार	273 करोड़	59 लाख
6. राजकोषीय घाटा	5 हजार	420 करोड़	86 लाख
7. वर्ष का बजट अधिशेष		186 करोड़	29 लाख

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान:

214. वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(निकटतम लाख रुपये में)

1. राजस्व प्राप्तियां	32 हजार	986 करोड़	25 लाख
2. राजस्व व्यय	31 हजार	803 करोड़	11 लाख
3. राजस्व खाते में आधिक्य	1 हजार	183 करोड़	14 लाख
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	7 हजार	913 करोड़	91 लाख
5. पूंजीगत व्यय	9 हजार	81 करोड़	66 लाख
6. राजकोषीय घाटा	5 हजार	266 करोड़	91 लाख
7. वर्ष का बजट आधिक्य		180 करोड़	39 लाख

215. आगामी वर्ष का राजस्व आधिक्य कुल राजस्व प्राप्तियों का 3.59 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा GSDP का 3 प्रतिशत रहना संभावित है।

216. मैं वर्ष 2008—09 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

217. मैं सभी नई योजनाओं और चल रही वर्तमान योजनाओं में गति लाने हेतु किये गये वित्त—पोषण, एवं अन्य सभी घोषणाओं को इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को सादर अर्पित करती हूँ। मैंने इन प्रस्तावों द्वारा प्रयास किया है कि न केवल सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे के विकास में संतुलन हो, बल्कि समाज के हर तबके को बराबर की तवज्जो मिले। हमारी रुचि, हमारा उद्देश्य, हमारा निशाना केवल राजस्थान के विकास पर केन्द्रित है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से सक्रिय योगदान एवं सहयोग का आह्वान है।

218. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।